

इंडेक्स

स.क्र.	टेंडर डॉक्यूमेंट	पेंज नं.
1	निविदा आंमत्रण सूचना कार्यक्रम सारणी सहित	2 से 3
2	पात्रता	4 से 5
3	निविदा भरने हेतु सामान्य निर्देश	5 से 13
4	अनुबंध की सामान्य शर्तें	13 से 14
5	साफ-सफाई कार्य हेतु सामान्य निर्देश, परिशिष्ट ए	14 से 23
6	आवश्यक उपकरण एवं संसाधन, परिशिष्ट बी	24 से 29
7	टैक्नीकल बिड परफोर्मेंस, परिशिष्ट सी	30 से 32
8	घोषणा-पत्र, परिशिष्ट डी	33
9	फाइनेंशियल बिड, परिशिष्ट ई	34 से 37
10	चैक लिस्ट, परिशिष्ट एफ	38
11	बैंक गारंटी प्रोफार्मा, परिशिष्ट जी	39

टेंडर डाक्यूमेंट

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सागर परिसर (महाविद्यालयीन समस्त भवन, संबद्ध चिकित्सालयीन समस्त भवन, ओपीडी, छात्रावास, अतिथि गृह, खुला परिसर, सड़के, समस्त आवास गृह परिसर इत्यादि) की यांत्रिक साफ-सफाई व्यवस्था (व्यक्ति, सफाई सामग्री एवं मशीनों सहित) पूर्णतः यांत्रिकीय साफ-सफाई व्यवस्था के वार्षिक अनुबंध हेतु टू बिड सिस्टम के तहत सीलबंद लिफाफों में निविदा आमंत्रित की जाती हैं ।

अनुबंध की विस्तृत शर्तें एवं जानकारी बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर की वेबसाइट www.bmcsagar.edu.in से डाउनलोड की जा सकती है या महाविद्यालय की स्वषासी शाखा से कार्यालयीन दिवस दिनांक 10.09.2015 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:00 बजे तक निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदा/डाउनलोडेड निविदा जमा करते समय निविदा शुल्क राशि रूपये 5000/- का बैंक चालान, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से देय हो, की मूल कार्यालयीन प्रति आवश्यक रूप से जमा करानी होगी अन्यथा निविदा निरस्त हो जाएगी । निविदा निरस्त होने पर निविदा मूल्य रिफंडेबल नहीं रहेगा ।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 23.09.2015 को समय दोपहर 1:00 बजे तक है। निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा। निविदा डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा । विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को अंतिम तिथि बढ़ाने का अधिकार होगा । निविदाकार फर्म को, निविदा प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ एवं संलग्नक पर हस्ताक्षर एवं सील अंकित होना चाहिए तथा निविदा स्पष्ट होना चाहिए, काट-छांट नहीं होना चाहिए । अपूर्ण निविदा अस्वीकृत की जावेगी । जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा । निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले संलग्नक, स्वयं के द्वारा सत्यापित एवं सील लगाना अनिवार्य होगा ।

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)

टेंडर कार्यक्रम

स.क्र.	कार्यक्रम	विवरण
1	निविदा आमंत्रण की उपलब्धता	विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से दिनांक 10.09.15 तक महाविद्यालय की www.bmcsagar.edu.in से डाउनलोड की जा सकती है अथवा भौतिक रूप से कार्यालय की स्वषासी शाखा से निर्धारित शुल्क के भुगतान उपरांत प्राप्त की जा सकती है।
2	निविदा प्रपत्र मूल्य	राशि रूपये 5000/- (षब्दों में पांच हजार रूपये मात्र) नॉन रिफंडेबल अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर म.प्र. के नाम से देय।
3	निविदा प्रपत्र विक्रय होने की दिनांक	विज्ञापन दिनांक से प्रारंभ होंगे।
4	निविदा प्रपत्र विक्रय होने की अंतिम दिनांक	दिनांक 10.09.2015 समय सायं 5:00 बजे तक
5	निविदा पूर्व (प्री प्रपोजल) कॉन्फ्रेंस हेतु दिनांक समय एवं स्थान	दिनांक 18.09.2015 दोपहर 1:00 बजे
6	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम दिनांक	दिनांक 23.09.2015 समय दोपहर 1:00 बजे तक
7	निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 23.09.2015 समय दोपहर 3:00 बजे से
8	धरोहर राशि (ई.एम.डी.)	राशि रूपये 300000/- (शब्दों में तीन लाख रूपये मात्र) अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर म.प्र. के नाम से देय।

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय,
सागर (म.प्र.)

1- निविदा हेतु पात्रता **Eligibility Criteria**

1. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम तीन लाख मात्र (रु. 3,00,000/-) होनी चाहिए। उक्त राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एफ.डी.आर. जो अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर एवं संबंधित फर्म के नामे एवं सागर में भुगतारित, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अग्रिम धरोहर राशि संलग्न अथवा प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा। सफल निविदाकार की धरोहर राशि महाविद्यालय में निविदा अवधि पूर्ण होने तक जमा रहेगी, निविदा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं कोई भी अदाएगी शेष न रहने पर वापिस की जाएगी। शेष असफल निविदादाताओं की निविदा धरोहर राशि, आवेदन देने पर तुरंत वापिस की जाएगी। निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा मूल्य राशि रु. 5000.00 वापिसी योग्य नहीं है। जो संस्था/फर्म टेंडर प्रक्रिया में सफल होती है तथा जो संस्थायें/फर्म्स टेंडर प्रक्रिया में असफल होती हैं, उनकी धरोहर राशि पर किसी प्रकार का कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
2. निविदाकर्ता का वार्षिक टर्नओवर 5000000/- शब्दों में रु. पचास लाख होना चाहिए, जो कि मशीनीकृत (यांत्रिकीय) साफ-सफाई अथवा मैनुअल साफ-सफाई व्यवस्था से अर्जित होना चाहिए, जिसकी प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. फर्म को केन्द्र तथा राज्य द्वारा जारी जीवित लेबर लाइसेंस की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता फर्म की निविदा के साथ किसी भी 200 बिस्तर वाले/केन्द्र/राज्य शासित संस्थाओं/चिकित्सालयों में यांत्रिकीय साफ-सफाई का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, जिसकी कुल लागत 1 करोड़ रुपये होना चाहिए। उपरोक्त किए गए कार्य का संस्था द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
5. संस्था/फर्म को पिछले 03 वित्तीय वर्षों की वित्तीय स्थिति/ऑडिट बैलेंस शीट संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदादाता फर्म का स्थाई लेखा क्रमांक (PAN No.) एवं टिन नं. की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
7. संस्था/फर्म को विगत तीन वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
8. संस्था/फर्म को सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
9. संस्था/फर्म को गत वर्ष 2013-14 के सर्विस टैक्स रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10. संस्था/फर्म को ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) एवं EPF का रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. संस्था/फर्म द्वारा सफाई कर्मचारी एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी घोषणा पत्र फर्म के लेटर पेड पर उपलब्ध करायें।
12. संस्था/फर्म की स्थापना को नगरीय प्रशासन सागर में पंजीकृत होना चाहिए जो कम से कम छः माह अथवा उससे अधिक पुराना होना चाहिए।

13. कॉन्टेक्ट लेबर लायसेंस (R&A) एक्ट 1970 के तहत वैध लेबर लायसेंस की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
14. निविदाकार के चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) की सत्यापित छायाप्रति, जो छः माह से अधिक पुरानी न हो ।
15. निविदाकार को केन्द्र अथवा राज्य शासित संस्था में मशीनों द्वारा साफ सफाई के कार्य का (सिंगल वर्क) 1 करोड़ रुपये का एक कार्य पूर्ण होना चाहिए जिसकी सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें ।
16. निविदादाता फर्म को, म.प्र. शासन के किसी भी विभाग अथवा किसी भी शासकीय संस्थानों में द्वारा ब्लेक लिस्टेड न होने/किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी न होने एवं निविदा प्रपत्र में भरी जानकारी तथा संलग्नकों के सत्य होने संबंधी शपथ पत्र 100 रुपये के स्टॉप पर नोटरी सहित संलग्न करना अनिवार्य है । निविदादाता द्वारा दी गई जानकारी असत्य, संलग्नक फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, निविदादाता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा ।
17. निविदाकार द्वारा जमा की गई विगत तीन वर्षों में किए गए साफ सफाई कार्यों से संबंधित कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, ई.पी.एफ. खाता क्रमांक अथवा ई.एस.आई.सी. खाता क्रमांक उसकी अंशदान की जानकारी समस्त की प्रकाशित जानकारी तथा संबंधित चालानों की प्रति संलग्न करना अत्यंत आवश्यक है ।

2. निविदादाताओं हेतु सामान्य निर्देश:-

- 2.1 अनुबंध के अनुसार प्रथम कार्य आदेश केवल एक वर्ष के लिए दिया जावेगा । इस हेतु 100/- रु. के स्टाम्प पेपर पर नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं करना होगा ।
- 2.2 वर्ष के अंत में कार्य की समीक्षा की जावेगी ।
- 2.3 यांत्रिकीय सफाई व्यवस्था का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर ही इस अवधि को आगामी एक वर्ष के लिए निरंतर रखा जा सकेगा एवं सफाई व्यवस्था का कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा ।
- 2.4 यांत्रिकीय सफाई व्यवस्था का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर महाविद्यालय की क्रय समिति एवं कार्यकारिणी समिति की अनुषंसा पर यांत्रिकीय सफाई निविदा आगामी एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी ।
- 2.5 किन्तु बड़े हुए वर्ष हेतु निविदा, निविदा दर में अधिकतम 10 प्रतिशत वृद्धि की शर्त के साथ मान्य होगी। निविदा की कुल अवधि अधिकतम तीन वर्ष या नवीन निविदा प्रभावी होने तक प्रभावशील रहेगी ।
- 2.6 यदि अनुबंध पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित फर्म की निविदा अवधि बढ़ाई जाती है तो संबंधित फर्म को पूर्व में किए गए अनुबंध को निष्पादित कराया जावेगा, तत्पश्चात् नवीन अनुबंध के आधार पर आगामी आदेश जारी किए जावेंगे ।
3. पात्र संस्था/फर्म द्वारा साफ-सफाई व्यवस्था हेतु महाविद्यालय परिसर का भौतिक निरीक्षण, कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में महाविद्यालय प्रशासन का सूचना देकर किया जा सकता है ।
4. अनुबंध के संबंध में कोई पूछताछ/षंका के सामाधान हेतु प्री बिड मीटिंग का आयोजन बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में दिनांक 18.09.2015 को किया जाएगा ।

- 5.1 विज्ञप्ति सफाई निविदा तीन स्तरीय होगी, जिसमें प्रथम तकनीकी निविदा खोली जावेगी, एवं जो निविदादाता तकनीकी अर्हताओं में सफल होगा उन्हीं की वित्तीय निविदा खोली जावेगी ।
- 5.2 किसी भी स्तर पर निविदा के अमान्य होने पर उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/संस्था का होगा ।
- 5.3 समिति के सदस्य द्वारा सभी तकनीकी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा तकनीकी अर्हताओं को पूर्ण करने वाले निविदादाताओं की बाकी निविदा खोली जाएगी यदि एक से अधिक निविदादाताओं की तकनीकी निविदा बराबर होगी तो उस स्थिति में जिस निविदाकार को शासकीय चिकित्सालयों में साफसफाई व्यवस्था का कार्य अनुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी ।
- 5.4 अधोहस्ताक्षरकर्ता को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के हितों का ध्यान रखते हुए यह अधिकार होगा की कम अधिक दर या न्यूनतम/अधिकतम दर वाली फर्म को यदि वो उचित समझता है तो बिना किसी कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेगा तथा इस संबंध में अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा निविदा में उल्लेखित कार्य क्षेत्र में बगैर सूचना के परिवर्तन करना या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को होगा और वो सभी निविदादाताओं को मान्य होगा ।
- 6.1 निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में टाइप (टंकण) करके भरा जाना आवश्यक है ।
- 6.2 प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील होना आवश्यक है । निविदा प्रपत्र में कोई सुधार (Correction/Overwriting) मान्य नहीं होगा ।
- 6.3 निविदा फर्म तीन विभागों में प्रस्तुत किया जाना है । तीनों विभाग अलग-अलग सीलबंद तीन लिफाफों के साथ एक बड़े लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा ।
- 6.4 सभी चारों लिफाफे अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर को प्रेषित होकर प्रेषक फर्म का नाम एवं पूर्ण पता सील सहित तथा लिफाफे के उपर कार्य का नाम एवं वर्ष आवश्यक रूप से लिखे जाना चाहिए ।
- 6.5 प्रथम लिफाफे के उपर कार्य का नाम एवं अग्रिम धरोहर राशि लिखकर उसके अंदर सिर्फ कार्य की अग्रिम धरोहर राशि की एफ.डी.आर. रखें । इस लिफाफे को "ए" नाम दें ।
- 6.6 द्वितीय लिफाफे के उपर कार्य का नाम एवं तकनीकी निविदा लिखकर उसके अंदर निविदा फॉर्म एवं आवश्यक संलग्नक जैसे कि- मशीनों की संपूर्ण जानकारी, सफाई कर्मचारियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी तथा सफाई कार्य में लगने वाली सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारी आदि अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर रखें ।
- 6.7 निविदा के प्रत्येक दस्तावेज पर पेज नं. एवं फर्म की सील एवं अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होना आवश्यक हैं । इस लिफाफे को "बी" नाम दें ।
- 6.8 तृतीय लिफाफे के उपर कार्य का नाम एवं वित्तीय निविदा लिखकर उसके अंदर कार्य निविदा दर निर्धारित परिषिष्ट में टाइप (टंकण)कर अपने हस्ताक्षर एवं सील लगाकर सीलबंद लिफाफे में रखें । इस लिफाफे को "सी" नाम दें ।
7. निर्धारित प्रपत्र एवं संलग्नक मोहर बंद लिफाफे में जिसके ऊपर "महाविद्यालय परिसर की यांत्रिक सफाई व्यवस्था निविदा' वर्ष 2014-15' अंकित कर अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालय में दिनांक (.....वार) को दोपहर 1:30 बजे तक जमा की जा सकती है। निर्धारित समयावधि पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। डाक विलंब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

8. निविदा प्रपत्र, अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के कार्यालयीन दिवस एवं समय (प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक) में निर्धारित शुल्क जमा कर, स्वषासी शाखा से दिनांक 10.09.2015 तक प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इंटरनेट से भी महाविद्यालय की वेबसाईट www.bmcsagar.edu.in से चालान फार्म डाउनलोड कर, भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में निविदा शुल्क जमा कर, निविदा डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। किन्तु डाउनलोड निविदा जमा करते समय निविदा शुल्क चालान/बैंक ड्राफ्ट की मूल कार्यालयीन प्रति आवश्यक रूप से, जमा करानी होगी अन्यथा आपकी निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी।
9. **निविदा खोलने की तिथि एवं निविदा का स्वरूप :-** दिनांक 23.09.2015 (बुधवार) को दोपहर 3:00 बजे अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदादाता अथवा निविदादाता फर्म के प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष निविदाएँ खोली जाएगी। फर्म/प्रतिनिधि अपने साथ पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ में लावें। संपूर्ण कार्यवाही पंजी में इन्द्राज की जाएगी, जिस पर सभी उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा निविदा खोलने की तिथि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। विशेष परिस्थिति को छोड़कर तीनों निविदाएँ एक ही दिन खोली जाएगी।
10. **सफाई स्थल एवं सफाई कर्मियों की तैनाती/विवरण :-**
 - 10.1 निविदादाता को समुचित संख्या में साफ-सफाई कर्मियों की व्यवस्था करनी होगी। (संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है)
 - 10.2 इस हेतु निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने की दिनांक से सफाईकर्मि उपलब्ध कराने हेतु घोषणापत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - 10.3 महाविद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 30.28 एकड़ है तथा महाविद्यालय में निर्मित भवन का क्षेत्रफल लगभग 1.20 लाख वर्गमी है। महाविद्यालय संपूर्ण भवन, समस्त छात्रावास संपूर्ण भवन, गोल भवन (जिसमें लायब्रेरी एवं लेक्चर हॉल है) अतिथि गृह संपूर्ण भवन, संपूर्ण चिकित्सालय, समस्त विभागीय ओपीडी, चिकित्सालय के समस्त इनडोर वार्ड, समस्त लैब, कैज्युल्टी, मॉरच्युरी, लायब्रेरी हॉल, लैक्चर हॉल, एनीमल हाउस, सड़के, मैदान, खुला परिसर इत्यादि का सफाई कार्य किया जाएगा।
11. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की साफ-सफाई व्यवस्था पूर्णतः यांत्रिकीय होगी। इस हेतु सफाई कर्मियों को प्रदाय की जाने वाली मशीनें, उपकरण, समस्त सामग्री एवं कैमिकल्स की व्यवस्था कराना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा जिसका पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, मशीनों एवं सफाई सामग्री का विवरण परिशिष्ट "बी" में दर्शाया गया है। परिशिष्ट "बी" का पालन अनिवार्य होगा।
12. घोषणा पत्र को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में भरना आवश्यक है। इस घोषणा पत्र को तकनीकी निविदा वाले लिफाफे के साथ संलग्न करें।
13. यदि निविदादाता द्वारा एक बार निविदा प्रपत्र जमा कर दिया जाता है उसके उपरांत संबंधित निविदादाता को निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि कोई निविदादाता/संस्था/

फर्म द्वारा निविदा वापिस ली जाती है तो ऐसी अवस्था में संबंधित निविदादाता/संस्था/फर्म द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को राजसात कर लिया जावेगा ।

14. सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किए गए कुल वार्षिक कार्य की लागत का 10 प्रतिशत भाग **प्रदर्शन धरोहर राशि (Performance Security Deposit)** के रूप में बैंक ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट/बैंक गारंटी के माध्यम से अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के नाम से स्वषासी शाखा में जमा किया जावेगा । इस हेतु परिशिष्ट "जी" में उल्लेख किया गया है ।
15. सफल निविदादाता द्वारा प्रदर्शन धरोहर राशि (Performance Security Deposit) अनुबंध के वर्क ऑर्डर जारी होने के 15 दिवस के अंदर जमा करना होगा अन्यथा सफल निविदादाता का अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा एवं उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।
16. निविदादाता द्वारा सफाई हेतु निविदा भरी जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि निविदाकार को निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें मान्य हैं। सफल निविदादाता द्वारा अनुबंध के पश्चात निर्धारित दिनांक से कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उसका ठेका समाप्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसे ब्लेक लिस्टेड कर द्वितीय सफल निविदादाता से अनुबंध किया जा सकेगा। जिस पर प्रथम सफल निविदादाता को किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।
17. निविदादाता फर्म द्वारा की जा रही सफाई व्यवस्था संतोषप्रद नहीं पायी जाती है अथवा यदि स्वयं सफाई कार्य करने में असफल होता है या वह स्वयं कार्य छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना दिए, निविदा अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा तथा शेष अवधि का ठेका द्वितीय निविदाकार को दिया जा सकेगा। संधारण ठेके पर यदि अधिक राशि व्यय करनी पड़ी तो स्वीकृत ठेके की अंतर की राशि प्रथम निविदादाता फर्म की अग्रिम धरोहर राशि से कटौती कर वसूल की जावेगी या अग्रिम धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
18. निविदादाता फर्म द्वारा प्रथम देयक के साथ नियुक्त किए गए समस्त सफाईकर्मियों की सूची जिसमें उनका नाम, पता तथा मोबाईल नं. हो तथा प्रत्येक सफाईकर्मी का पुलिस चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र संलग्न हो, कार्यालय को उपलब्ध करानी अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जब भी सफाईकर्मियों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जाए तो कम अथवा ज्यादा होने वाले सफाईकर्मियों की सूची उपरोक्तानुसार संलग्नों के साथ आगामी देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
19. प्रतिमाह देयकों के साथ ई.पी.एफ., ई.एस.आई., एवं सर्विस टैक्स इत्यादि की राशि चालान द्वारा निर्धारित तिथियों में जमा करना एवं उक्त चालान की सत्यापित प्रति अगले देयक के साथ प्रस्तुत करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा अन्यथा की स्थिति में देयक का भुगतान नहीं किया जावेगा। सफाईकर्मियों के ई.पी.एफ., ई.एस.आई., एवं सर्विस टैक्स इत्यादि के अंशदान निविदादाता द्वारा स्वीकृत दर में ही स्वयं वहन करना होगा। अंशदान में परिवर्तन होने पर परिवर्तित राशि जमा करने के जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी तथा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रबंधन इस राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

20. निविदादाता फर्म का यह दायित्व होगा कि वह, फर्म द्वारा नियुक्त किए गए प्रत्येक सफाईकर्मियों के ई.पी.एफ. एलॉटमेंट नंबर, ई.एस.आई. एलॉटमेंट नंबर की सूची, कार्य प्रारंभ करने के दो माह के अंदर महाविद्यालय को उपलब्ध कराएगी। साथ ही समय-समय पर की गई सफाईकर्मियों की वृद्धि अथवा कमी अनुसार, सफाईकर्मियों के ईपीएफ तथा ईएसआई नंबर एलॉटमेंट की सूची महाविद्यालय को उपलब्ध कराएगी।
21. निविदादाता फर्म को महिला छात्रावास, महिला वार्ड तथा जिन स्थानों पर महिला सफाईकर्मों रखना आवश्यक है, उन स्थानों पर महिला सफाईकर्मियों को रखना अनिवार्य होगा।
22. महाविद्यालय द्वारा फर्म का मासिक भुगतान देयक प्राप्त होने के दस दिवस की अवधि में कर दिया जाएगा किन्तु किसी समय ऐसा संभव न हो सका तो ठेकेदार, उक्त देरी हेतु ब्याज अथवा हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। किसी भी कारण से देयक के भुगतान न होने पर ठेकेदार को अपने अधीनस्थ सफाईकर्मियों को उनका मासिक वेतन का भुगतान स्वयं करना होगा। सफाई कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी।
23. निविदादाता फर्म यह सुनिश्चित करें कि उसके द्वारा नियुक्त समस्त सफाई कर्मचारियों का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। यदि कोई कर्मचारी आपराधिक कृत्यों में लिप्त पाया जाता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा एवं पुलिस द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही की जिम्मेदारी एवं उसमें पूर्णतः सहयोग प्रदान करने का उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
24. निविदादाता फर्म के मासिक देयक का भुगतान मास के संपूर्ण दिवस अर्थात् 30/31 दिन के अनुसार किया जावेगा। अवकाष वाले दिनों अथवा जिस दिन कार्य न हुआ हो उस दिन अथवा सफाईकर्मों की अनुपस्थिति का कटौती मासिक देयक से किया जाएगा।
25. समस्त सफाई कर्मचारी अनुबंधित फर्म के नियंत्रण में कार्य करेंगे। किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति, अवकाष, बीमारी इत्यादि की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
26. निविदादाता फर्म को नियुक्त किए गए कर्मचारियों पर लागू होने वाले निम्न अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा निम्न अधिनियमों के अंतर्गत समस्त भुगतानों की जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य अधिनियम, श्रम कानून अथवा अन्य कानून जो भी लागू होंगे, का पालन करना निविदादाता फर्म को अनिवार्य होगा एवं उसके पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता फर्म की होगी :-
- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. न्यूनतम वेतन अधिनियम, | 2. श्रम अधिनियम, | 3. ई.पी.एफ. अधिनियम, |
| 4. ई.एस.आई. अधिनियम, | 5. सेवाकर अधिनियम | 6. वेतन एवं बोनस अधि. |
27. सफाईकर्मियों को साप्ताहिक अवकाष/अन्य अवकाष प्रदाय करना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। महाविद्यालय की जरूरत अनुसार तथा अवकाष वाले दिनों सहित प्रतिदिन चिकित्सालय, अतिथि गृह, हॉस्टल्स इत्यादि का सफाई कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। सफाईकर्मों को दिए जाने वाले साप्ताहिक अवकाष से महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं आवासीय परिसर की सफाई व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अवकाष पर जाने वाले सफाई कर्मचारी के स्थान पर तुरंत अन्य कर्मचारी की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म को होगा। अवकाष पर जाने वाले कर्मचारी के स्थान पर तैनात किए गए नए कर्मचारी की सूचना एवं संलग्नक इस कार्यालय को प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा।

28. निविदादाता फर्म को महाविद्यालय में कार्यरत सफाई कर्मियों का मासिक रोस्टर माह प्रारंभ होने से पूर्व तैयार कर महाविद्यालय द्वारा नियुक्त सफाई व्यवस्था प्रभारी अधिकारी से सत्यापन कराकर, संबंधित प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार निविदादाता फर्म को चिकित्सालय में कार्यरत सफाई कर्मियों का मासिक रोस्टर माह प्रारंभ होने से पूर्व तैयार कर चिकित्सालय द्वारा नियुक्त सफाई व्यवस्था प्रभारी अधिकारी से सत्यापन कराकर, संबंधित प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रोस्टर अनुसार सफाई कर्मचारी निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए पाया जाना चाहिए। यदि भौतिक निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मचारी रोस्टर अनुसार निर्धारित स्थल पर कार्य करते हुए नहीं पाए जाते हैं अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के अन्य स्थल पर कार्य करते हुए पाए जाने पर, फर्म की सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य के प्रति लापरवाही समझी जावेगी। जिसके दण्डस्वरूप महाविद्यालय प्रबंधन को फर्म के विरुद्ध अर्थ शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार होगा तथा प्रबंधन द्वारा लगाई गई अर्थ शास्ति को निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए देयकों से वसूल किया जावेगा।
29. निविदादाता अपनी किसी भी प्रकार की हानि के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
30. सफाई कर्मचारी के कर्तव्य स्थल अथवा स्थल से बाहर दुर्घटना होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि आदि देने के जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी। इस हादसा/घटना से महाविद्यालय प्रशासन का कोई संबंध नहीं होगा एवं न ही कोई सफाई कर्मचारी महाविद्यालय अथवा चिकित्सालय से जुर्माना या हर्जाना मांगने का अधिकारी होगा।
31. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में साफ सफाई कार्य के अतिरिक्त संस्था में होने वाले अन्य आवश्यक कार्य हेतु समय-समय पर मांग के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का दायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
32. सफाई कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में उपस्थित होना होगा। इस हेतु निर्धारित वर्दी, जूते, लगाए जाने वाले बैच, नेम प्लेट, फोटो आई.डी. कार्ड, प्रोटेक्टिव गियर्स, ग्लब्स, रैन कोट एवं सफाई सामग्री/कैमिकल इत्यदि उपलब्ध कराना निविदादाता फर्म का उत्तरदायित्व होगा। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।
33. सफाईकर्मियों अथवा फर्म द्वारा संस्था को किसी भी प्रकार की क्षति/हानि पहुँचाने अथवा महाविद्यालयीन संपत्ति का आर्थिक नुकसान/चोरी करने पर उसकी भरपाई निविदादाता फर्म के मासिक भुगतान अथवा अग्रिम धरोहर राशि से वसूल की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।
34. निविदादाता फर्म द्वारा यांत्रिक साफ-सफाई हेतु प्रति माह जो दर निविदा प्रपत्र में अंकित की गई हो, वह राज्य/केन्द्र शासन तथा अन्य सभी प्रकार के दायित्वों/षुल्कों को मिलाकर होनी चाहिए। उस राशि के अलावा ठेकेदार को अन्य राशि भुगतान माँगने का अधिकार नहीं होगा और न ही महाविद्यालय द्वारा निविदा दर में स्वीकृत राशि के अलावा अन्य राशि का भुगतान किया जावेगा।
35. आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत फर्म को उक्त अनुबंध के आधार पर होने वाली आय पर नियमानुसार स्रोत कर की कटौती की जाएगी तथा आयकर का पैन क्रं. देना अनिवार्य होगा।

36. सफाई व्यवस्था हेतु नियुक्त सफाई कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं होगा । यदि सफाईकर्मियों द्वारा ऐसी गतिविधियां उत्पन्न की जाती हैं तो निविदादाता फर्म को वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का समस्त सफाई कार्य पूर्ण कराना अनिवार्य होगा । साथ ही जो सफाईकर्मि हड़ताल पर जाते हैं, उन्हें तत्काल हटाना अनिवार्य होगा तथा उनके स्थान पर अन्य सफाईकर्मि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो निविदादाता फर्म के उपर 500 रूपये प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा । इस जुर्माने की वसूली मासिक देयकों अथवा धरोहर राशि से की जावेगी ।
37. निविदादाता फर्म को वित्तीय वर्ष 2012-13 के सभी कार्यों जैसे आयकर, ईपीएफ जमा, ई. एसआई जमा आदि का क्लियरेंस प्रमाण पत्र, स्वयं के हस्ताक्षर एवं सील से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृति के बाद यदि कोई कर देय पाया जाता है तो वह निविदादाता फर्म द्वारा अदा किया जाएगा साथ ही वह निविदादाता की अयोग्यता का कारण भी होगा एवं ऐसी दशा में अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
38. फर्म द्वारा उक्त यांत्रिक साफ-सफाई कार्य का पूर्ण अथवा आंशिक हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को करने का अधिकार नहीं होगा ।
39. सफाई संबंधी सामग्री की सुरक्षा के लिए अलमारी या अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी साथ ही कचरे हेतु ट्रेक्टर-ट्रॉली अथवा हाथगाड़ी की व्यवस्था भी ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
40. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु समय का विशेष ध्यान रखा जाए इस हेतु फर्म को कार्यादेश जारी होने की दिनांक से, निविदा में दिए गए कार्यतालिका (Job Chart) एवं निर्धारित समय-सारणी (Time Table) अनुसार सफाई कराना होगा।
41. महाविद्यालय, चिकित्सालय तथा ओपीडी से उत्पन्न जीव चिकित्सा अपषिष्ट को निर्धारित बैग में रखकर भस्मीकरण हेतु निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन पहुंचाने का दायित्व निविदादाता फर्म का होगा ।
42. यदि महाविद्यालय अथवा चिकित्सालय प्रबंधन फर्म के किसी सफाई कर्मचारी के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो फर्म द्वारा उसे तत्काल सेवा से हटाना अनिवार्य होगा। ठेकेदार द्वारा इस हेतु किए जाने वाले किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जावेगा।
43. प्रत्येक सफाई कर्मि से प्रति एक दिन के वेतन के लिए निर्धारित समय आठ घण्टे का सफाई कार्य कराना अनिवार्य होगा। इन आठ घंटों में वह नियमित रूप से, प्रभारी अधिकारी सफाई व्यवस्था द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देशानुसार सफाई कार्य करने हेतु बंधनकारी होगा। सफाई कर्मि द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर, कर्मचारी के उस दिन के वेतन का कटौती करने एवं उसके निष्कासन की कार्यवाही करने का दायित्व तथा उसके स्थान पर अन्य सफाईकर्मि को उपलब्ध कराने का दायित्व निविदादाता फर्म का होगा । ध्यान रहे कि, प्रत्येक सफाईकर्मि को निविदा अनुसार प्रतिदिन आठ घंटे काम करना अनिवार्य होगा।
44. सफाईकर्मियों से विशेष परिस्थिति/आयोजनों के समय, दिए गए मौखिक निर्देशानुसार/आवश्यकता पड़ने पर सामान्य कार्य जैसे- सामान ढुलाई, कुर्सी/टेबल लगाना, पेड़ लगाना/उखाड़ना, स्थल समतल करना, किसी मशीन/सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान षिफ्ट करना इत्यादि कार्य लिया जा सकता है, जिसे पूर्ण कराने का समस्त उत्तरदायित्व सफल निविदादाता फर्म का होगा।

45. राष्ट्रीय पर्व जैसे पन्द्रह अगस्त/छब्बीस जनवरी/दो अक्टूबर एवं राज्यीय पर्व जैसे एक नवंबर एवं महाविद्यालय स्थापना दिवस 05 नवंबर पर सफाईकर्मियों से संपूर्ण सफाई कार्य प्रातः 7:30 बजे तक पूर्ण कराना फर्म का अनिवार्य कर्तव्य होगा।
46. महाविद्यालय में होने वाले वार्षिक समारोह/सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य राजनैतिक कार्यक्रम या जनप्रतिनिधियों के भ्रमण के दौरान, सफाई व्यवस्था बेहतर बनाए रखने हेतु सफाई व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा दिए गए मौखिक/लिखित निर्देशों का तत्काल पालन करना फर्म का उत्तरदायित्व होगा।
47. फर्म यह पूर्णतः सुनिश्चित करें वह ऐसे सफाईकर्मियों को नियुक्त करें जिनका मरीजों एवं उनके परिजनों के प्रति व्यवहार पूर्णतः मधुर एवं मिलनसार तथा सहयोग पूर्ण हो। मरीजों से किसी भी प्रकार की अभद्रता/झगड़ा किए जाने वाले सफाईकर्मियों को फर्म द्वारा निष्कासित किया जाना अनिवार्य होगा।
48. यदि किसी प्रकरण में महाविद्यालय अथवा चिकित्सालय प्रबंधन उचित समझता है कि विभागीय जाँच आवश्यक है या पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना आवश्यक है तो निविदादाता को महाविद्यालय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा और अगर अदालत में चालान प्रस्तुत होता है तो निविदादाता को साक्ष्य आदि कि लिए जब तक कि फैसला न हो जाए उपलब्ध रहना होगा। इसमें महाविद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
49. निविदादाता फर्म को सागर नगर निगम क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय रखना अनिवार्य होगा।
50. सफाई कार्य बेहतर प्रदर्शित हो इस हेतु प्रतिदिन उच्च गुणवत्ता के फिनायल, फ्लोर क्लीनर/केमिकल की निर्धारित मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ समस्त सफाई स्थलों पर पोंछा लगाया जावे, यांत्रिक मशीनों द्वारा सफाई की जावे, आवश्यकता पड़ने पर पानी तथा डिटरजेंट से धुलाई की जावे, महाविद्यालय के दरवाजों एवं खिड़कियों को गीलों कपड़े से एवं कॉच को चूने से साफ किया जावे, कार्यालयीन फर्नीचर, मशीन एवं उपकरणों को आवश्यकता पड़ने पर कोलीन जैसे उच्च गुणवत्ता वाली सफाई सामग्री से साफ किया जावे, टॉयलेट एवं यूरिनल एवं वाषवेसिंग सिंक आदि की डिटरजेंट पाउडर से नियमित सफाई तथा उनमें नैथेलिन वाल्स रखा जाना फर्म का कर्तव्य होगा।
51. विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष निविदादाता एवं निविदादाता आपस में विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे। अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। समस्त वैधानिक/न्यायिक कार्यवाही के लिए न्यायिक क्षेत्र सागर होगा।
52. ऊपर दी गई शर्तों के अलावा ठेकेदार द्वारा दी गई शर्त मान्य नहीं होगी। इस निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी, नियम तथा निर्देशों को अनुबंध का ही एक भाग माना जाएगा।
53. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर को ऊपर दी गई शर्तों में कमी अथवा वृद्धि अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/होगा।
54. अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड मेडिकल कॉलेज, सागर को उक्त निविदा को किसी भी समय स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है/रहेगा।
55. निविदादाता फर्म को उपरोक्त शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा शर्तों के उल्लंघन करने पर प्रति प्रकरण रु. 10000/- अर्थदण्ड करने या अनुबंध निरस्त करने एवं

जमा धरोहर राषि राजसात का अधिकार अधिष्ठाता, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर का होगा। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

56. चिकित्सा महाविद्यालय किसी भी शहर की सम्मानीय संस्था (Reputed Institute) होती है इसलिए व्ही.आई.पी./व्ही.व्ही.आई.पी. जनप्रतिनिधियों/अधिकारियों द्वारा उक्त संस्था का निरीक्षण किया जाना निश्चित है। अतः महाविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी एवं जबावदेही निविदादाता फर्म की होगी। किसी भी अधिकारी द्वारा परिसर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी इन्द्राज की जाती है, तो यह आपके कार्य की असफलता समझी जावेगी तथा इस सम्मानीय संस्था (Reputed Institute) की छवि धूमिल करने पर आपकी निविदा समाप्ति की कार्यवाही/अर्थदण्ड लगाने/अग्रिम धरोहर राषि के राजसात करने एवं फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा। आप महाविद्यालय की बेहतर सफाई व्यवस्था हेतु अपने सुझाव महाविद्यालय प्रबंधन समिति के समक्ष व्यक्त कर सकते हैं एवं प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत आपके सुझावों पर त्वरित कार्यवाही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा की जावेगी।
57. निविदादाता यह सुनिश्चित कर ले कि उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार/भाई/भतीजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में पदस्थ न हो। "वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1363-सी-आर-968/चार-आर-दो दिनांक 26-4-1963 एवं क्रमांक 2201 नं. क्रमांक 1213-4न-2, दिनांक 10-9-65 अनुसार"- "परिवार" से तात्पर्य (क) पुरुष शासकीय सेवक के मामले में पति, (ख) पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियाँ, (ग) विधवा पुत्रियाँ, (घ) भाई, (च) अविवाहित या विधवा बहिन, (छ) पिता और (ज) माता। यदि ऐसा पाया जाता है तो किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा एवं धरोहर राषि राजसात कर ली जावेगी।

अनुबंध की सामान्य शर्तें:-

- 1- सफल निविदादाता द्वारा नियुक्त किए गए सफाईकर्मि पूर्णतः प्रशिक्षित होना चाहिए। संबंधित सफाईकर्मि को एक विषाल चिकित्सालय में निपुणता से कार्य करने का आवश्यक अनुभव तथा कार्यालयीन फर्नीचर मशीन तथा उपकरणों की सफाई करने में निपुण होना चाहिए। यदि सफाई करते समय अथवा सफाईकर्मि की लापरवाही के कारण महाविद्यालय अथवा चिकित्सालय की किसी भी सामग्री/उपकरण/फर्नीचर को नुकसान पहुंचता है/टूटफूट होती है अथवा बाथरूम में नलों की चोरी/टूटफूट होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित निविदादाता फर्म की होगी। उक्त नुकसान की भरपाई संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए मासिक देयकों अथवा अग्रिम धरोहर राषि में से की जावेगी।
- 2- सफल निविदादाता को अपने अधीनस्थ सफाईकर्मियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपायों का वहन स्वयं करना होगा। सफल निविदादाता को समय-समय पर अपने अधीनस्थ संपूर्ण सफाईकर्मियों का स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक होगा।
- 3- निविदादाता को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की साफ-सफाई में उपयोग होने वाली सामग्री एवं मशीनों (परिषिष्ट "बी" अनुसार सामग्री एवं मशीनों) का मैनटेनेंस, रीफिलिंग एवं इंस्टॉलेशन का व्यय स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
- 4- निविदादाता द्वारा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की सफाई हेतु नियुक्त किए सफाईकर्मियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष सामान्यतः होना चाहिए। सभी सफाईकर्मि शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट एवं स्वस्थ होना चाहिए। निविदाकार फर्म

सफाई हेतु बाल श्रमिकों को नियुक्त नहीं करेगी । यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके अनुबंध को निरस्त कर उसके विरुद्ध श्रम अधिनियमों के तहत उचित कार्यवाही की जावेगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा ।

- 5- जब निविदादाता द्वारा सफाईकर्मियों को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की साफ सफाई का दायरा/क्षेत्र/स्थान (वार्ड, ओ.पी.डी. आई.पी.डी. स्टोर, कैजुअल्टी, ओ.टी. एरिया एवं कार्यालय आदि) निश्चित कर दिया जावेगा, तो संबंधित सफाईकर्मों मैट्रन एवं संबंधित स्थान के प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में ही कार्य करेंगे ।

6. निविदादाता हेतु निर्देश:-

- क निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर आवासीय परिसर में मवेशी/जानवर/कुत्ते/बिल्ली/चमगादड़/मधुमक्खी/मक्खियां/कबूतर आदि से मुक्त वातावरण बना रहे ।
- ख सफाईकर्मियों को मधुमक्खी/ततैया (बररैया) का छत्ता निकालने का तरीका इस प्रकार का सुनिश्चित करना होगा कि इससे किसी भी मरीज, अधिकारी, कर्मचारी एवं कैंपस निवासियों को कोई नुकसान न हो सके ।
- ग परिषिष्ट बी में दर्शाई गई समस्त सफाई सामग्री (मशीन) आदि क्रय करके महाविद्यालय/चिकित्सालय के स्टोर में रखवाना सुनिश्चित करेंगे । सफाई हेतु उक्त सामग्री को संबंधित शाखा प्रभारी से इष्ू कराना होगी ।
- घ सफाईकर्मियों को बायोमेडिकल वेस्ट के निष्पादन हेतु प्रत्येक वार्ड, ओ.टी. अथवा गैलरी एरिया में रखे हुए कंटेनरों को इंसीनिरेटर संस्था के वाहन तक पहुंचाना होगा । इस हेतु निविदादाता को सफाईकर्मियों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करानी होगी ।
- ङ निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट सहित सभी तरह के कचरे को इस प्रकार से निष्पादन हेतु ले जाने हेतु सेप्टी उपायों का ध्यान रखा जा रहा है ।
- च चिकित्सालय के समस्त तलों पर स्थित टॉयलेट्स एवं वार्डों के टायलेट्स, वाश बेसिन डस्टबिन, फर्श, छत, दीवार, खिड़कियां, दरवाजे, ग्रिल्स आदि की सफाई का विशेष ध्यान देते हुए एक मानक स्तर की सफाई व्यवस्था प्रतिदिन 03 पालियों में स्क्रबिंग एवं सफाई करना तथा फिनायल का प्रयोग करते हुए व नैथैलिन की गोलियां डालकर जीवाणुरहित करना व ओडोनिल लगाकर उचित रखरखाव करना अनिवार्य है
- छ चिकित्सालय में स्थित समस्त टायलेट्स की साफ-सफाई एवं मँटेनेंस की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इस हेतु किसी भी प्रकार का भुगतान अलग से नहीं किया जावेगा ।

भुगतान की प्रक्रिया:-

1. निविदादाता द्वारा कार्यालय में समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित तीन प्रतियां में देयक प्रस्तुत करने की दिनांक से एक माह के भीतर भुगतान किया जावेगा ।
2. कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् फर्म को अपना प्रतिमाह यांत्रिक सफाई कार्य का सत्यापन संबंधित स्थल के अधिकारी (महाविद्यालय हेतु प्रशासकीय अधिकारी, विभागों हेतु विभागाध्यक्ष, चिकित्सालय हेतु अधीक्षक, छात्रावासों हेतु उनके अधीक्षक, ओपीडी, अतिथि गृह, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम हेतु उनके प्रभारी अधिकारी इत्यादि) से कराना आपका उत्तरदायित्व होगा, तत्पश्चात् देयक अधिष्ठाता कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । संबंधित अधिकारियों द्वारा असंतोष व्यक्त करने अथवा अनुपस्थिति इन्द्राज करने पर जुर्माना लगाने की अनुषंसा करने पर प्रस्तावित राशि देयकों से काट ली जावेगी ।
3. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत सफाईकर्मियों की वैरीफिकेशन रिपोर्ट संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने पर देयकों का भुगतान किया जावेगा ।
4. सफल निविदादाता को प्रतिमाह की 10 तारीख से पूर्व बैंक के माध्यम से सफाईकर्मियों का वेतन भुगतान करना होगा । सफाईकर्मियों को किए गए वेतन भुगतान संबंधी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी देयकों के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । ऐसा न किए जाने पर देयकों का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

क्षतिपूर्ति एवं जुर्माने के संबंध में स्पष्टीकरण:-

4. सफाई से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के बारे में संबंधित प्रभारी अधिकारी/मैट्रन द्वारा निविदादाता फर्म के सुपरवाइजर को सूचित किए जाने के एक घंटे के भीतर यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो संबंधित फर्म के उपर राशि रुपये 500/- का जुर्माना किया जावेगा ।
5. यदि निविदादाता फर्म द्वारा नियुक्त किए गए सफाईकर्मियों द्वारा मरीज/मरीजों के परिजन/स्टाफ के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है तो संबंधित फर्म के उपर राशि रुपये 500/- का जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा । साथ ही निविदादाता द्वारा संबंधित सफाईकर्मी को तत्काल कार्य से हटाकर दूसरा सफाईकर्मी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
6. निर्धारित सफाईकर्मियों में से यदि कोई सफाईकर्मी अनुपलब्ध पाया जाता है तो निविदादाता फर्म द्वारा संबंधित के स्थान पर अन्य सफाईकर्मी उपलब्ध कराना होगा । यदि वह सफाईकर्मियों को उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है अथवा निर्धारित सफाईकर्मियों की संख्या में कमी पाई जाती है तो संबंधित फर्म के उपर 200/- रुपये प्रति सफाईकर्मी प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा, जो कि संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए देयकों की राशि में से काटा जावेगा ।
7. निविदादाता फर्म केवल उन्हीं सफाईकर्मियों को वेतन भुगतान करे, जो कि ड्यूटी पर उपस्थित रहते हैं । अनुपस्थित रहने वाले सफाईकर्मियों को वेतन भुगतान न किया जाए । यदि अनुपस्थित रहने वाले सफाईकर्मियों को वेतन भुगतान किया जाता है तो अनुबंध निरस्त कर, धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी ।
8. निविदादाता फर्म में नियुक्त किसी भी सफाईकर्मी को चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन से किसी प्रकार के दावा (क्लेम), फायदा, क्षतिपूर्ति मुआवजे अथवा नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार नहीं होगा ।
- 9- निविदादाता फर्म में नियुक्त किसी भी सफाईकर्मी को चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन के कार्यालय से संबंधित किसी सूचना, शल्य क्रिया की प्रक्रिया, तकनीकी क्रिया संचालन, सुरक्षा व्यवस्था तथा

प्रशासनिक एवं संस्थागत प्रकरण, जो गोपनीय एवं गुप्त हों, को किसी भी तीसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी सफाईकर्मी द्वारा किसी प्रकार की गोपनीयता भंग की जाती है/कार्यालय एवं चिकित्सालय के कार्य में व्यवधान डाला जाता है तो संबंधित फर्म द्वारा उस सफाईकर्मी को तत्काल कार्य से हटाना होगा।

- 10- निविदादाता फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी सफाईकर्मी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर में शराब अथवा किस अन्य प्रकार का नषा करते, पान खाते, धूम्रपान करते, आवारागर्दी करते हुए घूमते, बिना किसी कार्य के जुआ खेलते, सट्टा लगाते एवं किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त न रहे। यदि कोई सफाईकर्मी उक्त प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो संबंधित फर्म को संबंधित सफाईकर्मी को तत्काल हटाना होगा। यदि ऐसे सफाईकर्मी को तत्काल नहीं हटाया जाता है तो निविदादाता फर्म के विरुद्ध 1000/- रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा, जो उसके मासिक देयकों के भुगतान से काटा जावेगा।

सामग्री:-

1. यदि निविदादाता द्वारा अनुबंध में दर्शाई गई सामग्री में से किसी सामग्री की गुणवत्ता एवं संख्या में कोई कमी की जाती है तो महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा निविदादाता फर्म के उपर (जुर्माना सूची अनुसार अथवा संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तावित) जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा। यदि निविदादाता फर्म द्वारा अनुबंध में दर्शाई गई सामग्री को निर्धारित गुणवत्ता एवं संख्या उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित फर्म का अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
2. यदि महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रबंधन को अनुबंध में दर्शाई गई शर्तों के अनुसार सफाई व्यवस्था प्रदाय करने में असफलता प्रतीत होती है तो महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा सफल निविदादाता फर्म को एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा तथा सफाई व्यवस्था हेतु अगली फर्म को अनुबंधित किया जावेगा।
3. सफल निविदादाता के सुपरवाइजर को अनुबंध के संबंध में एक सुझाव पुस्तिका संधारित करना होगी, जिसमें सफाई व्यवस्था के संबंध में महाविद्यालयीन एवं चिकित्सालयीन स्टाफ एवं आगंतुकों से सुझाव एवं लिए जाएंगे। इस सुझाव पुस्तिका को महाविद्यालय में अधिष्ठाता को एवं चिकित्सालय में अधीक्षक को प्रतिमाह सत्यापित करवाना आवश्यक होगा।
4. निविदादाता फर्म द्वारा समस्त सफाईकर्मियों को प्रतिमाह में एक बार नम्र व्यवहार एवं शालीन आचरण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जावेगा।

साफ-सफाई व्यवस्था के उद्देश्य:-

साफ-सफाई व्यवस्था का उद्देश्य बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय के समस्त परिसर में उच्च स्तरीय सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्यकर सफाई व्यवस्था, कूड़ा-कचरा मुक्त एवं आदर्श स्वरूप वातावरण प्रदान करना है ।

सफाई व्यवस्था हेतु कार्यतालिका (Job Chart):-

- A. सफाई व्यवस्था हेतु प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य:-निविदादाता फर्म को चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर की साफ- सफाई नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह में प्रतिदिन सोमवार से रविवार तक (24x7) अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
1. सफाई, डस्टिंग, वैक्यूमिंग एवं जीवाणुरहित फर्ष दीवारें छत, किसी भी प्रकार के कचरे को हटाना ।
2. संपूर्ण महाविद्यालयीन परिसर जिसमें महाविद्यालय भवन, सभी छात्रावास, अतिथि गृह, आवासीय भवनों सहित सभी भवनों के आसपास का संपूर्ण खुला परिसर, परिसर की सभी सड़के, खेल मैदान, पार्क, क्रांकीट, पार्किंग स्थल, लिफ्ट इत्यादि सम्मिलित हैं ।
3. महाविद्यालय भवन में निम्न क्षेत्र सफाई व्यवस्था में शामिल होंगे:- एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन एवं पी.एस.एम. विभागों का समस्त परिसर, टॉयलेट, कोरीडोर प्रशासकीय कार्यालय, लायब्रेरी, सीढ़ियां कॉमन रूम, बैठक कक्ष, समस्त लैक्चर हॉल (निर्मित/नवनिर्मित), ऑडिटोरियम, मोर्चुरी, गैस प्लांटन, इलैक्ट्रिक सब स्टेसन कार्यालयीन फर्नीचर, मशीन/उपकरण, कम्प्यूटर, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, टायल्स एवं छत इत्यादि ।
4. महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय के निम्न क्षेत्र सफाई व्यवस्था में शामिल होंगे & ओ.पी.डी., चिकित्सालय के समस्त वार्ड्स, चिकित्सालय के समस्त ऑपरेशन थियेटर्स, आपातकालीन चिकित्सा इकाई परिसर एवं कैजुअल्टी वार्ड, समस्त लैब्स, समस्त चिकित्सा परीक्षण कक्ष, समस्त विभागीय लैब, सेन्ट्रल पैथोलॉजी लैब, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय के समस्त कक्ष एवं टॉयलेट्स, मुख्य औषधि भंडार शाखा, मुख्य औषधि भंडार गृह, उपकरण भंडार गृह, पंजीयन कोरीडोर, जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा चिकित्सालय के समस्त तलों की सीढ़ियां, समस्त गैलरियां, समस्त तलों के टॉयलेट्स, मरीजों के पलंग, सेलाइन स्टैण्ड, बैड साइड लॉकर, डस्टबिन, स्टूल, कुर्सी, समस्त कोरीडोर, शिक्षण-परीक्षण कक्ष, कार्यालयीन फर्नीचर, मशीनें, उपकरण, कम्प्यूटर्स, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, टायल्स, छत तथा समस्त तलों की दीवारों, समस्त लिफ्ट, फायर बॉक्स एवं सीढ़ी एरिया के समीप पान के दागों का हटाना इत्यादि ।
5. चिकित्सालय की समस्त सीढ़ियां, केबिन्स, लॉबीस, रिसेप्शन, प्रशिक्षण कक्ष, ऑफिस रूम, मीटिंग रूम, सिक्यूरिटी ऑफिस, सी.सी.टी.व्ही. कैमरे का कक्ष, चिकित्सालयीन सेमीनार हॉल एवं चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा सफाई हेतु समय-समय पर सौंपे गए अन्य परिसरों की झाड़ू लगाना, पौछा लगाना, जीवाणुरहित करना इत्यादि सफाई संबंधी कार्य ।
6. समस्त प्रकार की बकेट, डस्टबिन्स, एवं रद्दी की टोकरियां, मकड़ी जाले आदि की सफाई करना एवं उस कूड़ा कचरे को इकट्ठा करके तयषुदा जगह पर निष्पादन हेतु भेजना ।

7. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भवन के समस्त कम्प्यूटर सिस्टम एवं उनके पेरीफेरल डिवाइसेस की सफाई, दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर, पंखे, उपकरणों एवं सहायक सामग्रियों की सफाई तथा समस्त खिड़कियों के कांच एवं ग्रिल्स की सफाई करना तथा परदों की सफाई करना ।
8. महाविद्यालय के समस्त विभागों, प्रशासकीय कक्षों एवं अधिष्ठाता द्वारा निर्देशित की गई जगहों पर प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे एवं दोपहर 02:00 बजे रूम फ्रेशनर स्प्रे का छिड़काव करना तथा लिक्विड हैंड सोप, टॉयलेट रोल्ल्स रखना अनिवार्य है ।
9. चिकित्सालय के समस्त विभागों, प्रशासकीय कक्षों एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा निर्देशित की गई जगहों पर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे एवं दोपहर 03:00 बजे रूम फ्रेशनर स्प्रे का छिड़काव छिड़काव करना तथा लिक्विड हैंड सोप, टॉयलेट रोल्ल्स रखना अनिवार्य है ।
10. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के समस्त टायलेट्स, वाष बेसिन्स एवं सेनेट्री फिटिंग, कांच, फर्ष आदि की प्रतिदिन स्क्रबिंग एवं सफाई करना तथा फिनायल का प्रयोग करते हुए व नैथैलिन की गोलियां डालकर जीवाणुरहित करना व ओडोनिल लगाकर उचित रखरखाव करना अनिवार्य है ।
11. महाविद्यालय, चिकित्सालय, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जे.आर. हॉस्टल, अतिथि गृह, एवं समस्त आवासीय परिसर की छतों पर रखी हुई टंकियों की सफाई प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में एक बार करना अनिवार्य है ।
12. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के समस्त विद्युतीय स्विच बोर्ड, लाइट से संबंधित उपकरण, पंखे, एयर कंडिषनर, ओवर हैड लाइट फिक्सचर, प्रोजेक्टर, टी.व्ही. स्क्रीन्स, अग्निषामक यंत्रों, नेम प्लेट, गमले, डोरमैट आदि की साफ-सफाई करना तथा सीढ़ी तथा सीढ़ी की रेलिंग की डस्टिंग एवं पौछा लगाना अनिवार्य है ।
13. समस्त प्रकार के डस्टबिन को दाग रहित रखना । समस्त प्रकार के डस्टबिन के समस्त प्रकार के कचरे को प्रतिदिन निर्धारित स्थान पर निषपादन हेतु पहुंचाना अनिवार्य है ।
14. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर में जहां तहां बाल, डस्ट, गंदगी तथा इस प्रकार की कोई अवांछित वस्तु पाई जाती है तो उसकी जांच करके उसकी सफाई करना ।
15. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर के समस्त रिसेप्शन कक्ष, प्रशिक्षण कक्षों, समिति कक्ष, कम्प्यूटर लैब्स, सुरक्षा कक्षों, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंटों, आदि की प्रतिदिन सफाई, डस्टिंग एवं स्क्रबिंग करना अनिवार्य है ।
16. प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में एक बार चिकित्सा महाविद्यालय तथा चिकित्सालय के विभिन्न विभागों, वार्ड्स, एवं प्रशासकीय परिसर में स्थित समस्त अल्मारी एवं कूलर की सफाई, डस्टिंग एवं स्क्रबिंग करना अनिवार्य है ।
17. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के समस्त खुले परिसर की सफाई के साथ-साथ महाविद्यालय तथा चिकित्सालय भवन एवं बाउंड्रीवाल के बीच के खुले परिसर की साफ सफाई करना (All open area between the building and boundry), रोड की झाड़ू लगाना, पार्कों की सफाई करना, फुटपाथ की सफाई करना, खुली नालियों एवं महाविद्यालय, चिकित्सालय एवं आवासीय परिसर के सेप्टिक टैंकों की साफ-सफाई चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रबंधन के निर्देशानुसार करना अनिवार्य है ।
18. समस्त वार्डों एवं गैलरी की प्रतिदिन धुलाई एवं फिनाइल से पौछा लगाना अनिवार्य है ।

19. समस्त वार्डों एवं गैलरी एवं सीढ़ियों के पास में ढक्कन वाली 70 लीटर की डस्टबिन रखवाना अनिवार्य है ।
20. प्रतिमाह के प्रत्येक सप्ताह में एक दिन महाविद्यालय की लायब्रेरी, लेक्चर हॉल, प्रवेश द्वार, विभागीय कक्षों, लैब, टायलेट, कोरीडोर, फ़ैकल्टी कक्ष, गैलरी, सेमीनार हॉल, मीटिंग हॉल, प्रैक्टिकल रूम्स, संपूर्ण आंतरिक, कार्यालयीन कक्षों, टायलेट एवं कोरीडोर में लगे मकड़ी के जाले साफ करना अनिवार्य है ।

सफाई व्यवस्था हेतु समय सारणी (Time Table)&

● महाविद्यालय की सफाई हेतु प्रथम पाली:-

संपूर्ण महाविद्यालय के खुले परिसर, लायब्रेरी एवं लेक्चर हॉल, संपूर्ण आवासीय परिसर के समस्त टाइप (टाइप-1 से टाइप-7) भवन की प्रथम पाली की सफाई प्रातः 8 बजे से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए एवं प्रवेश द्वार, विभागीय कक्षों, लैब, टायलेट, कोरीडोर, फ़ैकल्टी कक्ष, गैलरी, सेमीनार हॉल, मीटिंग हॉल, प्रैक्टिकल रूम्स, पार्किंग एरिया, संपूर्ण आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र मैदान, समस्त सड़कें एवं फुटपाथ एवं बगीचे से कचरा हटाना इत्यादि की सफाई प्रातः 9 बजे से पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए एवं कार्यालय एवं कार्यालयीन कक्षों, टायलेट, कोरीडोर की सफाई प्रातः 10 बजे से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए तथा इसी पाली में महाविद्यालयीन बिल्डिंग में स्थित समस्त टायलेट्स की साफ सफाई फिनायल का प्रयोग करते हुए व नैथैलिन की गोलियां डालकर व जीवाणुरहित करना व ओडोनिल लगाकर रखरखाव करना अनिवार्य है ।

● महाविद्यालय की सफाई हेतु द्वितीय पाली:-

संपूर्ण महाविद्यालय के खुले परिसर, लायब्रेरी एवं लेक्चर हॉल की द्वितीय पाली की सफाई दोपहर 3 बजे से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए एवं प्रवेश द्वार, विभागीय कक्षों, लैब, टायलेट, कोरीडोर, फ़ैकल्टी कक्ष, गैलरी, सेमीनार हॉल, मीटिंग हॉल, प्रैक्टिकल रूम्स, पार्किंग एरिया, संपूर्ण आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र, समस्त सड़कें एवं फुटपाथ, मैदान एवं बगीचे से कचरा हटाना, इत्यादि की सफाई दोपहर 2 बजे से पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए एवं कार्यालय एवं कार्यालयीन कक्षों, टायलेट, कोरीडोर की सफाई दोपहर 03 बजे से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए तथा इसी पाली में महाविद्यालयीन बिल्डिंग में स्थित समस्त टायलेट्स की साफ सफाई फिनायल का प्रयोग करते हुए व नैथैलिन की गोलियां डालकर व जीवाणुरहित करना व ओडोनिल लगाकर रखरखाव करना अनिवार्य है ।

● चिकित्सालय की सफाई हेतु प्रथम पाली:-

संपूर्ण चिकित्सालय के खुले परिसर की प्रथम पाली सफाई प्रातः 7 बजे से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए एवं ओ.पी.डी. आंतरिक विभागों, इनडोर वार्डों, टायलेट, कोरीडोर, ओटी, लैब्स, आई.सी.यू., आई.पी.डी. गैलरी, चिकित्सालय परिसर के चारों ओर की समस्त सड़कें एवं फुटपाथ, बगीचे से कचरा हटाना, समस्त पार्किंग एरिया इत्यादि की सफाई प्रातः 8 बजे से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए तथा इसी पाली में चिकित्सालयीन बिल्डिंग में स्थित समस्त टायलेट्स की साफ सफाई फिनायल का प्रयोग करते हुए व नैथैलिन की गोलियां डालकर व जीवाणुरहित करना तथा ओडोनिल लगाकर रखरखाव करना अनिवार्य है ।

● चिकित्सालय की सफाई हेतु द्वितीय पाली:-

संपूर्ण चिकित्सालय के खुले परिसर की प्रथम पाली सफाई दोपहर 1 बजे से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए एवं ओ.पी.डी. आंतरिक विभागों, इनडोर वार्डों, टायलेट, कोरीडोर, ओटी, लैब्स, आई.सी.यू., आई.पी.डी. गैलरी, चिकित्सालय परिसर के चारों ओर की समस्त सड़कें एवं फुटपाथ, बगीचे से कचरा हटाना, समस्त पार्किंग एरिया इत्यादि की सफाई दोपहर 2 बजे से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए तथा इसी पाली में चिकित्सालयीन बिल्डिंग में स्थित समस्त टायलेट्स की साफ सफाई फिनायल का प्रयोग करते हुए व नैथैलिन की गोलियां डालकर व जीवाणुरहित करना तथा ओडोनिल लगाकर रखरखाव करना अनिवार्य है ।

● चिकित्सालय की सफाई हेतु तृतीय पाली:-

ओ.पी.डी. आंतरिक विभागों, इनडोर वार्डों, टायलेट, कोरीडोर, ओटी, लैब्स, आई.सी.यू., आई.पी.डी. गैलरी, चिकित्सालय परिसर के चारों ओर की समस्त सड़कें एवं फुटपाथ, बगीचे से कचरा हटाना, समस्त पार्किंग एरिया इत्यादि की सफाई रात्रि 8 बजे से पूर्व पूर्ण हो जानी चाहिए तथा इसी पाली में चिकित्सालयीन बिल्डिंग में स्थित समस्त टायलेट्स की साफ सफाई फिनायल का प्रयोग करते हुए व नैथैलिन की गोलियां डालकर व जीवाणुरहित करना तथा ओडोनिल लगाकर रखरखाव करना सुनिश्चित करना ।

● महाविद्यालय के अन्य भवनों की सफाई हेतु पाली:-

महाविद्यालय के अन्य भवन, जैसे समस्त बॉयस हॉस्टल, समस्त गर्ल्स हॉस्टल, समस्त नर्सिंग हॉस्टल, समस्त जे.आर. हॉस्टल, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम, गैस प्लांट एरिया, इलैक्ट्रिसिटी सब स्टेशन तथा पार्किंग एरिया आदि की प्रथम पाली की सफाई (डस्टबिन साफ करने सहित) प्रातः 8 बजे से पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए तथा उक्त भवनों की द्वितीय पाली की सफाई सांय 5 बजे से पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए ।

● आवासीय परिसर की सफाई हेतु पाली:-

समस्त आवासीय परिसर (डस्टबिन साफ करने सहित) की प्रथम पाली की सफाई प्रातः 8 बजे से पूर्व पूर्ण हो जाना चाहिए इस प्रकार समस्त आवासीय परिसर की द्वितीय पाली की सफाई सांय 5 बजे से पूर्व हो जाना चाहिए ।

B. कचरे के निष्पादन हेतु आधारभूत आवश्यकता:-

- सफल निविदादाता फर्म यह सुनिश्चित करे कि उसके पास महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की साफ-सफाई हेतु पूर्णतः यांत्रिकीय व्यवस्था एवं सूखे तथा गीले कचरे को साफ करने हेतु अलग-अलग संसाधन आवश्यक रूप से उपलब्ध रहें ।
- सफल निविदादाता फर्म यह भी सुनिश्चित करे कि उसके पास स्वाभाविक तरीके से सड़ने वाले कचरे तथा नहीं सड़ने वाले कचरे को अलग-अलग तरीके से निष्पादन करने के संसाधन आवश्यक रूप से उपलब्ध रहें ।
- अंततः सफल निविदादाता अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करे कि महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से निकलने वाले सभी तरह के कचरे (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर) को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई जगह पर निष्पादन करने हेतु आवश्यक वाहन व्यवस्था का प्रबंध रहे तथा उक्त कचरे को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से निर्धारित स्थल पर निष्पादन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं निविदादाता का रहेगा ।

- सफल निविदादाता फर्म के पास महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में कचरा इकट्ठा होने वाले निर्धारित स्थान पर समस्त आकार, प्रकार एवं अपेक्षित बिन्स उपलब्ध होना चाहिए ।
- सफल निविदादाता फर्म के पास महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में साफ-सफाई व्यवस्था के संपादन हेतु पर्याप्त संख्या में मैनपावर उपलब्ध होना चाहिए ।
- महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के खुले परिसर, लायब्रेरी एवं लेक्चर हॉल, प्रवेश द्वार, विभागीय कक्षों, लैब, टायलेट, कोरीडोर, फ़ैकल्टी कक्ष, गैलरी, सेमीनार हॉल, मीटिंग हॉल, प्रैक्टिकल रूम, पार्किंग एरिया, संपूर्ण आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र, समस्त सड़कें एवं फुटपाथ, मैदान एवं बगीचे से कचरा हटाना, कार्यालय एवं कार्यालयीन कक्षों, चिकित्सालय की ओ.पी.डी. आंतरिक विभागों, इनडोर वार्डों, टायलेट, कोरीडोर, ओटी, लैब्स, आई.सी.यू., आई.पी.डी. गैलरी, चिकित्सालय के कार्यालय एवं चिकित्सालय परिसर के चारों ओर की समस्त सड़कें एवं फुटपाथ, बगीचे से कचरा हटाना, समस्त पार्किंग एरिए से कचरे को इकट्ठा करके निष्पादन करने का कार्य प्रतिदिन वाहन के माध्यम से करना आवश्यक होगा ।

C. सफाई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में एक दिन होने वाले आवश्यक कार्य:-

- चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के बाहरी क्षेत्र को सप्ताह में एक दिवस हाई प्रेशर जेट मशीन से साफ करना अनिवार्य है ।
- सफल निविदादाता फर्म को सफाई व्यवस्था में तैनात सफाईकर्मियों का ड्यूटी रोस्टर प्रत्येक सप्ताह में एक बार महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रबंधन को उपलब्ध कराना अनिवार्य है ।
- प्रत्येक सप्ताह में एक दिन चिकित्सालय के ओ.पी.डी. आंतरिक विभागों, इनडोर वार्डों, टायलेट, कोरीडोर, ओटी, लैब्स, आई.सी.यू., आई.पी.डी. गैलरी, चिकित्सालयीन बिल्डिंग में स्थित समस्त टायलेट्स एवं कोरीडोर में लगे मकड़ी के जाले साफ करना अनिवार्य है ।
- प्रत्येक सप्ताह में एक दिन महाविद्यालय की लायब्रेरी, लेक्चर हॉल, प्रवेश द्वार, विभागीय कक्षों, लैब, टायलेट, कोरीडोर, फ़ैकल्टी कक्ष, गैलरी, सेमीनार हॉल, मीटिंग हॉल, प्रैक्टिकल रूम, संपूर्ण आंतरिक, कार्यालयीन कक्षों, टायलेट एवं कोरीडोर में लगी खिड़कियों के कांच साफ करना अनिवार्य है ।
- प्रत्येक सप्ताह में एक दिन चिकित्सालय के ओ.पी.डी. आंतरिक विभागों, इनडोर वार्डों, टायलेट, कोरीडोर, ओटी, लैब्स, आई.सी.यू., आई.पी.डी. गैलरी, चिकित्सालयीन बिल्डिंग में स्थित समस्त टायलेट्स एवं कोरीडोर में लगी खिड़कियों के कांच साफ करना अनिवार्य है ।
- किसी विशेष दिन जैसे कि राष्ट्रीय पर्व, निरीक्षण दिवस एवं सम्माननीय अधिकारियों के दौरे के समय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की बिल्डिंग के सम्मुख चूने से मार्किंग करना होगी ।
- प्रत्येक सप्ताह में एक दिन समस्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर में लगी खरपतवार एवं अनावश्यक घास को उखाड़कर नष्ट करना अनिवार्य है ।
- प्रत्येक सप्ताह में समस्त आवासीय परिसर के समस्त टाइप (प्रकार) के आवासीय भवनों की छतों पर स्थित पानी की टंकी की सफाई करना अनिवार्य है ।

D. महामारी एवं चूहा, गिलहरी व कुतरने वाले जानवरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम करने हेतु किए जाने वाले आवश्यक कार्य एवं उपायः—

- प्रत्येक सप्ताह में एक दिन समस्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर में कीटनाषक दवा का छिड़काव करना एवं फॉगिंग मशीन चलाना अनिवार्य है ।
- सफल निविदादाता फर्म द्वारा चिकित्सालय एवं महाविद्यालय परिसर को जीवाणुमुक्त एवं रोगाणुमुक्त करने हेतु छिड़काव करने तथा फोगिंग मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला केमिकल मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए ।
- सफल निविदादाता फर्म द्वारा चिकित्सालय एवं महाविद्यालय परिसर को जीवाणुमुक्त एवं रोगाणुमुक्त करने हेतु छिड़काव करने तथा फोगिंग मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला केमिकल ऐसा होना चाहिए जो महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर में किसी प्रकार का निषान न छोड़े ।
- सफल निविदादाता फर्म द्वारा चिकित्सालय एवं महाविद्यालय परिसर को महामारी एवं चूहा, गिलहरी व कुतरने वाले जानवरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम करने हेतु कार्ययोजना महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रबंधन को अनुमोदन हेतु प्रदान करना होगी तथा उक्त अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कार्य संपादित करना होगा ।

E. सफाई व्यवस्था के क्रियाकलापों की देख-रेख एवं नियंत्रणः—

साफ-सफाई व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नलिखित गतिविधियां सफल निविदादाता फर्म को लागू करना अनिवार्य रहेगाः—

1. टॉयलेट चैकलिस्टः—

सफाई व्यवस्था फर्म को टॉयलेट चैकलिस्ट को समस्त टायलेट्स के दरवाजे के पिछले हिस्से पर चिपकाना होगी, ताकि प्रतिदिन की ड्यूटी पर उपस्थित सुपरवाइजिंग स्टाफ उक्त चैक लिस्ट को किए गए कार्यों के आधार पर भर सके ।

2. शिकायत पुस्तिकाः—

सफाई व्यवस्था फर्म के सुपरवाइजर को शिकायत पुस्तिका संधारित करनी होगी, जिसमें समस्त प्रकार के सुझाव, सफाई संबंधी शिकायतें तथा नियुक्त सफाईकर्मियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त की जावेंगी (उक्त शिकायतें महाविद्यालय तथा चिकित्सालय प्रबंधन, स्टाफ एवं मरीजों तथा किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती हैं)। सफाई सुपरवाइजर उक्त शिकायतों को प्राप्त करने के उपरांत गंभीरता से अवलोकन करेगा तथा उनका तत्काल निराकरण करेगा ।

● महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था के अतिरिक्त कार्यः—

1. चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में से मरीजों के डिस्चार्ज होने के तत्काल बाद उस पलंग को साफ करना तथा अन्य मरीज हेतु तैयार रखना अनिवार्य होगा ।

सफाई व्यवस्था प्रदान करने वाली फर्म को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा :-

1. चिकित्सालय परिसर में प्रयुक्त समस्त डस्टबिन्स पर "बायो हजार्ड" सूचक छपा हुआ होना अनिवार्य है ।
2. सफाईकर्मियों को सफाई करते समय कचरा इकट्ठा करते समय ग्लव्स एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा । ग्लव्स एवं मास्क का व्यय निविदादाता फर्म को वहन करना होगा ।
3. चिकित्सालय परिसर में रखे समस्त डस्टबिन्स में रखे कचरे के बैग जब एक तिहाई भर जाएं तो उन्हें उठाकर निष्पादन हेतु ले जाते समय संबंधित बैग पर इस प्रकार का लेबल, जिस पर इस तारीख, समय एवं तल की जानकारी रहे, लगाना होगा तथा नए बैग डस्टबिन में रखना होगा ।
4. जब सफाईकर्मी कचरे के बैगों को इस्तेमाल कर रहे होंगे तब वह बैग उपर से पूरी तरह बंद होंगे तथा सफाईकर्मी के शरीर से दूर रहेंगे ।
5. यदि कचरे का बैग किसी कारणवश फट गया है अथवा बंद नहीं हो पा रहा है तो उसे तत्काल किसी दूसरे बैग में रखकर निष्पादन कराना होगा ।
6. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कचरे को जगह-जगह से इकट्ठा करके प्रतिदिन निर्धारित ट्रॉली में एवं निर्धारित समय पर रखकर निष्पादन हेतु ले जाना होगा ।
7. सफाई कर्मियों को मोर्चुरी (षवगृह) में से शव को ढांकने एवं लपेटने हेतु आवश्यक सामग्री प्रदान करने का दायित्व सफल निविदादाता फर्म का होगा ।

परिशिष्ट "बी"

आवश्यक संसाधन:-

1. सफाई सामग्री:- सफाईकर्मियों को सफाई करने हेतु समस्त प्रकार की सफाई सामग्री जैसे कि साबुन, सर्फ, रूम फ्रेशनर, नैथैलिन गोली, रोगाणुनाशक घोल (Disinfectants), डियोड्रंट्स प्रदान करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सफल निविदादाता फर्म का होगा। उपरोक्त समस्त सामग्री के देयकों का भुगतान जब किया जावेगा, तब महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त सामग्री के देयकों एवं सामग्री के उपयोग को सत्यापित कर दिया जाए।
2. समस्त प्रकार के डस्टबिन्स एवं डिस्पोजेबल बैग्स निविदादाता फर्म को ही उपलब्ध कराना होंगे। उपरोक्त बैग के देयकों का भुगतान जब किया जावेगा, तब महाविद्यालय/चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त बैगों के देयकों एवं बैगों के उपयोग को सत्यापित कर दिया जाए।
3. निविदादाता फर्म को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु प्रयोग किए जाने वाली मैनपावर, उपकरण, मशीनें, औजार एवं उनकी सहायक सामग्री तथा उनको रीफिल कराने की व्यवस्था का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
4. निविदादाता फर्म को महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था में नियुक्त सफाईकर्मियों के निरीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन एवं प्रबंधन हेतु 24 घंटे सुपरवाइजर स्टैण्डबाई उपस्थित रखना होगा, ताकि सफाईकर्मियों द्वारा उच्च गुणवत्ता के नतीजे दिए जा सकें।
5. निविदादाता फर्म को सफाई व्यवस्था में प्रयुक्त समस्त सफाईकर्मी, मशीनें एवं उपकरणों की व्यवस्था ऐसी करनी होगी कि यदि किसी की कमी/बंद स्थिति में पाई जाए तो अन्य सफाईकर्मी, मशीन एवं उपकरण से सफाई कार्य किया जा सके। यदि महाविद्यालय अथवा चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा ऐसा पाया गया कि निर्धारित सफाईकर्मी/मशीन/उपकरण कार्य नहीं कर रहा है तो निविदादाता फर्म के उपर जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा।
6. निविदादाता फर्म को यांत्रिक सफाई व्यवस्था हेतु प्रथम मासिक देयकों के साथ, निविदा हेतु चाही गई समस्त मशीनों एवं सफाई सामग्री व कैमिकल्स के देयक संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं फर्म के प्रत्येक मासिक देयक में आवश्यक सफाई सामग्री (कैमिकल्स) का देयक संलग्न करना अनिवार्य होगा। मशीनें एवं उपकरण क्रय करने के देयक तथा सामग्री क्रय करने के देयक प्राप्त न होने पर फर्म के मासिक देयक का भुगतान नहीं किया जाएगा एवं अर्थ शास्त्र भी लगाई जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा। मशीनों, सफाई सामग्री एवं कैमिकल्स की अनिवार्य न्यूनतम संख्या एवं मासिक मात्रा निम्नानुसार है। निविदादाता फर्म बेहतर सफाई व्यवस्था हेतु निम्न सूची से अधिक संख्या में मशीनें/सफाई सामग्री/कैमिकल्स उपयोग कर सकेगी। किन्तु देयक का भुगतान स्वीकृत दरानुसार ही किया जाएगा। :-

List of Tentative Housekeeping Machines/Resources Requirement:-

निविदादाता फर्म के पास बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की प्रतिदिन की प्रभावी सफाई व्यवस्था हेतु निम्नलिखित मशीनें एवं उपकरणों का होना अनिवार्य है:-

Sl.No.	Description	Tentative Nos. required
1	ऑटो स्क्रबर मशीन	03 Nos.
2	वैक्यूम क्लीनर हैवी ड्यूटी	04 Nos.
3	रिंगर ट्रॉली	10 Nos.
5	लैडर एल्यूमीनियम (घोड़ी टाइप)	05 Nos.
6	ग्लास क्लीनर किट	02 Nos.
7	साइन बोर्ड	10 Nos.
8	राइड ऑन स्क्रबर बैटरी ऑपरेटेड	01 Nos.
9	कमर्शियल स्क्रबर ड्रायर	04 Nos.
11	सिंगल डिक्स स्क्रबर/पॉलीषर	04 Nos.
12	वैट एण्ड ड्राई वैक्यूम क्लीनर	04 Nos.
13	ड्राई वैक्यूम क्लीनर	04 Nos.
14	हाई प्रेशर कॉमर्शियल वाटर जेट	04 Nos.
15	कवर्ड ट्रॉली विथ व्हील्स	10 Nos.
16	ड्रेन क्लीनर मशीन	01 Nos.
17	डस्टबिन 70 लीटर (आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है)	100 Nos.
18	पौलीथिन बैग 70 लीटर (आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है)	100 Nos.
19	बकेट हैंडलिंग ट्रॉली	04 Nos.
20	एक्सटेंशन पोल	10 Nos.

- महाविद्यालय की सफाई व्यवस्था हेतु महाविद्यालय की स्टोर षाख में निविदादाता द्वारा एक स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा, जिसमें उपरोक्त सामग्री का स्टॉक एवं खपत की संपूर्ण जानकारी एकत्रित रहेगी । इसी प्रकार चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु चिकित्सालय की स्टोर शाखा में निविदादाता द्वारा एक स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया जावेगा, जिसमें उपरोक्त सामग्री का स्टॉक एवं खपत की संपूर्ण जानकारी एकत्रित रहेगी । उपरोक्त सामग्री को प्रयोग करने हेतु महाविद्यालय/चिकित्सालय के स्टोर इंचार्ज से इषू कराने के उपरांत उपयोग किया जावेगा ।

List of Tentative Cleaning Materials & Aids Required for each month

Sl. No.	Items	Qty
1	डस्ट कंट्रोल रीफिल	50 नग
2	मोप रीफिल	100 नग
3	डिटजेंट पाउडर (1 कि.ग्रा.)	50 नग
4	वर्तन धोने वाला पाउडर (1 कि.ग्रा.)	100 नग
5	मल्टी क्लीनर	50 नग
6	रूम स्प्रे (Premium)	50 नग
7	ऑटो स्प्रे	100 बोटल्स

8	ओडोनिल (1 कि.ग्रा. पैक)	250 नग
9	यू. क्यूब्स	30 पैकेट
10	नैथ्यालिन बॉल्स (1kg pack)	30 पैकेट
11	सोडियम हाइपोक्लोराइड	50 लीटर
12	ब्लीचिंग पाउडर	200 कि.ग्रा.
13	फिनायल	200 लीटर
14	R1 (बाथरूम क्लीनर)	100 लीटर
15	R2 (ग्लास क्लीनर/कोलीन)	50 लीटर
16	R3 (फर्नीचर क्लीनर)	50 लीटर
17	R4 (टायलेट क्लीनर)	100 लीटर
18	R5 (टायल्स क्लीनर)	100 लीटर
19	कीटनाशक स्प्रे	50 बोटल्स
20	हारपिक लिक्विड (1 कि.ग्रा. पैक)	50 बोटल्स
21	डिटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड	50 लीटर
22	विजार्ड लिक्विड	20 लीटर
23	ब्रूम सोफ्ट (फूल झाड़ू)	50 लीटर
24	कोब वेब क्लीनर विथ अटैचमेंट	10 नग
25	पीले डस्टिंग क्लोथ (कम्प्यूटर्स की सफाई हेतु)	100 नग
26	हैपी ड्यूटी टॉयलेट ब्रश	50 नग
27	एसिड (चोकिंग क्लियर करने हेतु)	60 लीटर
28	डस्टिंग क्लोथ	10 दर्जन
29	वैट क्लोथ	20 दर्जन
30	टायलेट ब्रूम	50 नग
31	रोड ब्रूम	20 नग
32	स्क्रबिंग ब्रश	20 नग
33	हैड राउण्ड ब्रश	50 नग
34	जाला ब्रश मेटल	30 नग
35	टायलेट क्लीनर ब्रश	50 नग
36	वायपर छोटे	50 नग
37	वायपर बड़े	50 नग
38	डस्टिंग वायपर	50 नग
39	प्लास्टिक मग	50 नग
40	बाल्टी छोटी	30 नग
41	बाल्टी बड़ी	30 नग
42	डस्टबिन विथ लिड (60 लीटर)	50 नग
	ड्रम विथ लिड (40 लीटर)	20 नग

परिषिष्ट बी में दर्शाई गई समस्त सफाई सामग्री एवं मशीन आदि क्रय करके महाविद्यालय/चिकित्सालय के स्टोर में रखवाना सुनिश्चित करेंगे। सफाई सामग्री की आवश्यकता के अनुसार उक्त सामग्री को संबंधित शाखा प्रभारी से इषू कराना होगी।

List of Tentative Manpawor Requirement

निविदादाता फर्म को बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की प्रतिदिन की प्रभावी सफाई व्यवस्था हेतु निम्नानुसार मैनपावर नियुक्त करना अनिवार्य है:-

Sl.No.	Housekeeping Manpower	Required Noes. of Personals(*)	Shift Timing and Details	Remarks
1	Facility Manager	01 No.	8 Hrs. General Shift (9.30 am to 5.30pm)	Incharge of the House keeping work of Bundelkhand medical college and hospital
2	Housekeeping Supervisor	02 Nos.	Two Shift (06.30 am to 2.30 pm & 02:00 pm to 10:00 pm) For Medical College Building	
		03	Three Shift (06.30 am to 2.30 pm, 2:30 pm to 10:00 pm and 10:00 pm to 06:30 am) For Hospital Building	
3	Cleaning and Sweeping attendants according to area of total Medical College i.e.- एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एवं पी.एस.एम. विभागों का समस्त परिसर, टॉयलेट, कोरीडोर प्रशासकीय कार्यालय, लायब्रेरी, सीढ़ियां कॉमन रूम, बैठक कक्ष, समस्त लैक्चर हॉल (निर्मित/नवनिर्मित), ऑडिटोरियम, मोर्चुरी, गैस प्लांटन, इलैक्ट्रिक सब स्टेशन कार्यालयीन फर्नीचर, मशीन/उपकरण, कम्प्यूटर, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, टायल्स एवं छत इत्यादि की सफाई हेतु ।	130	महाविद्यालय की सफाई हेतु शिफ्ट Two Shift (06.30 am to 2.30 pm & 02:00 pm to 10:00 pm) For Medical College Building	

<p>Cleaning and Sweeping attendants according to area of total Hospital i.e.- ओ.पी.डी., चिकित्सालय के समस्त वार्ड्स, चिकित्सालय के समस्त ऑपरेशन थियेटर्स, आपातकालीन चिकित्सा इकाई परिसर एवं कैजुअल्टी वार्ड, समस्त लैब्स, समस्त चिकित्सा परीक्षण कक्ष, समस्त विभागीय लैब, सेन्ट्रल पैथोलॉजी लैब, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक कार्यालय के समस्त कक्ष एवं टॉयलेट्स, मुख्य औषधि भंडार शाखा, मुख्य औषधि भंडार गृह, उपकरण भंडार गृह, पंजीयन कोरीडोर, जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा चिकित्सालय के समस्त तलों की सीढ़ियां, समस्त गैलरियां, समस्त तलों के टॉयलेट्स, मरीजों के पलंग, सेलाइन स्टैंड, बैड साइड लॉकर, डस्टबिन, स्टूल, कुर्सी, समस्त कोरीडोर, शिक्षण-परीक्षण कक्ष, कार्यालयीन फर्नीचर, मशीनें, उपकरण, कम्प्यूटर्स, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, टायल्स, छत तथा समस्त तलों की दीवारों, समस्त लिफ्ट, फायर बॉक्स एवं सीढ़ी एरिया के समीप पान के दागों का हटाने हेतु ।</p>		चिकित्सालय की सफाई हेतु शिफ्ट Three Shift (06.30 am to 2.30 pm, 2:30 pm to 10:00 pm and 10:00 pm to 06:30 am) For Hospital Building	
--	--	--	--

सफाई कार्य हेतु उपरोक्तानुसार मैनपावर की संख्या अस्थाई है, जो कि कार्य की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है । निविदादाता फर्म द्वारा फाइनेंशियल बिड में प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की जो दर प्रदाय की जावेगी वही दर अनुबंध की संपूर्ण समयावधि में मैनपावर हेतु लागू रहेगी ।

टीप:-

1. निविदादाता फर्म को उपरोक्त परिषिष्ट के अनुसार नियुक्त किए गए फैंसिलिटी मैनेजर एवं हाउसकीपिंग सुपरवाइजरों की सूची, नाम, फोटो, पते एवं मोबाईल नंबर सहित कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है । संबंधित फैंसिलिटी मैनेजर एवं सुपरवाइजर महाविद्यालय द्वारा नियुक्त सफाई व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में सफाई कार्य संपादित कराएंगे । इसी प्रकार चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु नियुक्त हाउसकीपिंग सुपरवाइजर चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी अधिकारी के निर्देशन में सफाई कार्य संपादित कराएंगे ।
2. महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में तैनात सफाईकर्मियों से आवश्यकता पड़ने पर बिजली एवं प्लंबिंग संबंधी कार्य भी कराया जावेगा ।

जुर्माना सूची

S.No.	Description of irregularities	Penalty/जुर्माना
1	निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में सफाईकर्मियों का पाया जाना	200/- रुपये प्रति व्यक्ति
2	यदि कचरे को निविदा में दर्शाई गई प्रणाली एवं शैड्यूल के अनुसार नहीं उठाया गया	500/- रुपये प्रति असफल प्रयास
3	यदि सफाईकर्मी बिना ड्रेस एवं आई कार्ड के पाया जाता है तो	200/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
4	महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बिल्डिंग में पान अथवा किसी भी प्रकार के दाग पाए जाने पर	100/- रुपये प्रति दाग का स्थान प्रतिदिन
5	महाविद्यालय एवं चिकित्सालय परिसर में किसी भी प्रकार की गंदगी पाए जाने पर	200/- रुपये प्रति शिकायत प्रतिदिन
6	महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का कोई भी टॉयलेट गंदा पाए जाने पर अथवा निर्धारित प्रणाली तथा निर्धारित सामग्री से साफ नहीं करने एवं रख-रखाव नहीं करने पर	200/- रुपये प्रति टॉयलेट प्रतिदिन
7	यदि असंतुष्ट सफाई व्यवस्था अथवा बिना सफाई वाले स्थान की शिकायत करने के एक घंटे के अंदर कोई कार्यवाही नहीं की गई	200/- रुपये प्रति शिकायत प्रतिदिन
8	यदि निविदादाता फर्म के किसी कर्मचारी द्वारा बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के स्टाफ (चिकित्सा शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी), मरीज, मरीज के परिजन तथा किसी भी आगंतुक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है	200/- रुपये प्रति घटनाक्रम प्रतिदिन
9	ऑटो स्क्रबर मशीन न होने पर	1000/- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
10	वैक्यूम क्लीनर हैवी ड्यूटी न होने पर	1000/- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
11	रिंगर ट्रॉली न होने पर	500/- रुपये प्रति ट्रॉली प्रतिदिन
12	ग्लास क्लीनर किट न पाए जाने पर	500/- रुपये प्रति स्थान प्रतिदिन
13	साइन बोर्ड न पाए जाने पर	500/- रुपये प्रति स्थान प्रतिदिन
14	राईड ऑन स्क्रबर बैटरी ऑपरेटेड मशीन न पाए जाने पर	4000/- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
15	कमर्शियल स्क्रबर ड्रायर	2000/- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
16	सिंगल डिक्स स्क्रबर/पॉलीषर	800/- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
17	वैट एण्ड ड्राई वैक्यूम क्लीनरी	500/- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
18	ड्राई वैक्यूम क्लीनर	500/- रुपये प्रति मशीन प्रतिदिन
19	हाई प्रेशर कॉमर्शियल वाटर जेट	500/- रुपये प्रति जेट प्रति स्थान प्रतिदिन
20	कवर्ड ट्रॉली विथ व्हील्स	500/- रुपये प्रति ट्रॉली प्रतिदिन
21	डस्टबिन 70 लीटर (आवश्यकतानुसार संख्या बढ़ाई जा सकती है)	200/- प्रति डस्टबिन प्रतिदिन
22	बकेट हैंडलिंग ट्रॉली	500/- प्रति ट्रॉली प्रतिदिन
23	उपरोक्त स.क्र. 01 से लेकर 28 तक दर्शाई गई परिस्थितियों की पुनरावृत्ति होने पर	उपरोक्त स.क्र. 01 से लेकर 08 तक दर्शाई गई परिस्थितियों हेतु जुर्माना कॉलम में दर्शाए गए जुर्माने से दोगुना जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा ।

- सफाई कर्मचारियों को ड्रेस, आईकार्ड, सफाई हेतु निर्धारित मशीनें/उपकरण एवं निर्धारित सफाई सामग्री जैसे-कवर्ड ट्रॉली, डस्टपैन, मोप्स, बकेट्स, वायपर, ग्लब्स, डस्टर्स, स्क्रबर, स्पंज, झाड़ू, ब्रशेस, सुरक्षा के साधन आदि प्रदाय करने का दायित्व निविदादाता फर्म का होगा ।
- निविदा भरने हेतु सामान्य निर्देश, अनुबंध की सामान्य शर्तें तथा साफ-सफाई हेतु सामान्य निर्देश, परिशिष्ट ए तथा आवश्यक उपकरण एवं संसाधन परिशिष्ट बी अनुसार कार्य न करने पर जुर्माना सूची अनुसार तथा अन्य अनुशासनहीनता हेतु अधिष्ठाता एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक द्वारा निर्धारित किया गया जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा । इस जुर्माने की राशि की पूर्ति सफल निविदाकार के मासिक देयकों से की जावेगी ।

परिशिष्ट "सी"**Technical Bid for Housekeeping Services at Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar**

For providing Houskeeping services at Bundelkhand Medical College Building and Hospital Building, Hostels and Residential Campus at BMC Sagar MP

A. Details of Tenderer:

1	NAME OF TENDERING COMPANY/FIRM TENDERER	
2	NAME OF OWNER/DIRECTOR	
3	FULL PARTICULARS OF OFFICE	
(a)	Address	
(b)	Telephone No.	
(c)	Fax No.	
(d)	E-Mail Address	
4	FULL PARTICULAR OF THE BANKERS OF COMPANY/FIRM	
(a)	Name of the Bank	
(b)	Address of the Bank	
(c)	Telephone No.	
(d)	Fax No.	
(e)	E-Mail Address	
5	REGISTRATION DETAILS	
(a)	Attested copy of PAN No.	
(b)	Services Tax Registration No.	
(c)	E.P.F. Registration No.	
(d)	E.S.I. Registration No.	
6	DETAILS OF EARNEST MONEY DEPOSIT	
(a)	Amount (Rs.)	
(b)	D.D. No & Date	
(c)	Drawn on Bank	
(d)	Valid up to	
7	DETAILS OF TENDER COST	
(a)	Amount (Rs.)	
(b)	D.D. No & Date	
(c)	Drawn on Bank	
(d)	Valid up to	

The above format may be used to provide requisite details

Date:
Place:

Signature of Tenderer
Name :
Seal:

A. Details of the Work Experience:

	Name and address of the Organisation, Name, Designation and Contract Telephone/Fax No of the Officer concerned	Details regarding the contract including total manpower deployed	Value of contract (Rs)	Duration of contract	
				From	To
				dd/mm/yy	dd/mm/yy
A					
B					
C					
	Additional information, if any				

The above format may be used to provide requisite details

Date:
Place:

Signature of Tenderer
Name :
Seal:

परिशिष्ट "डी"**8. DECLARATION**

1. I, Son/Daughter of
Shri
Proprietor/Partner/Director/Authorized Signatory of
..... am competent to sign this declaration and
execute this tender document.
2. I have carefully read and understood all the terms and conditions of the
tender and hereby convey my acceptance of the same.
3. I am agree to provide all the Machines, equipments and manpower as
mentioned in Annx B. If I fail to provide mentioned housekeeping facility, I
am ready to agree all the instruction and punishments by the Dean,
Bundelkhand Medical College, Sagar (M.P.)
4. The information/documents furnished along with the above applicable are
true and authentic to the best of my knowledgy and belief. I/we, am/ are well
aware of the fact that furnishing of any false information/ fabricated
document would lead to rejection of my tender at any stage liabilities
towards prosecution under appropriate law.
- 5.

Signature of Authorized Person

Date:
Place:Full Name :
Company's Seal:

N.B: The above declaration, duly signed and sealed by the authorized signatory of the company, should be enclosed with Technical Tender.

परिशिष्ट "ई"

9. FINANCIAL BID FOR HOUSEKEEPING SERVICE AT BUNDELKHAND MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL SAGAR (PART-A)

S. No.	ITEM WITH STANDARD	Account Unit	Approx. Qty Reqd. for One Month	Rates offered by Agency excluding VAT (for a Unit)	%Vat Applicable	Total amount including VAT in Rs. (for a Unit)	Total Cost for require Quantity
1	डस्ट कंट्रोल रीफिल	50 नग					
2	मोप रीफिल	100 नग					
3	डिटजेंट पाउडर (1 कि.ग्रा.)	50 नग					
4	विम पाउडर (1 कि.ग्रा.)	100 नग					
5	मल्टी क्लीनर	50 नग					
6	रूम स्प्रे (Premium)	50 नग					
7	ऑटो स्प्रे	100 बोटल्स					
8	ओडोनिल (1 कि.ग्रा. पैक)	250 नग					
9	यू. क्यूब्स	30 पैकेट					
10	नैथ्यालिन बॉल्स (1kg pack)	30 पैकेट					
11	सोडियम हाइपोक्लोराइड	50 लीटर					
12	ब्लीचिंग पाउडर	200 कि.ग्रा.					
13	फिनायल	200 लीटर					
14	R1 (बाथरूम क्लीनर)	100 लीटर					
15	R2 (ग्लास क्लीनर/कोलीन)	50 लीटर					
16	R3 (फर्नीचर क्लीनर)	50 लीटर					
17	R4 (टायलेट क्लीनर)	100 लीटर					
18	R5 (टायल्स क्लीनर)	100 लीटर					
19	कीटनाशक स्प्रे	50 बोटल्स					
20	हारपिक लिक्विड (1 कि.ग्रा. पैक)	50 बोटल्स					
21	डिटोल एंटीसेप्टिक लिक्विड	50 लीटर					
22	विजार्ड लिक्विड	20 लीटर					
23	ब्रूम सोफ्ट (फूल झाड़ू)	50 लीटर					
24	कोब वेब क्लीनर विथ अटैचमेंट	10 नग					
25	पीले डस्टिंग क्लोथ (कम्प्यूटर्स की सफाई हेतु)	100 नग					
26	हैवी ड्यूटी टॉयलेट ब्रश	50 नग					
27	Heavy Duty toilet brush	Dozen					
28	डस्टिंग क्लोथ	10 दर्जन					
29	वैट क्लोथ	20 दर्जन					
30	टायलेट ब्रूम	50 नग					
31	रोड ब्रूम	20 नग					
32	स्क्रबिंग ब्रश	20 नग					
33	हैड राउण्ड ब्रश	50 नग					
34	जाला ब्रश मेटल	30 नग					
35	टायलेट क्लीनर ब्रश	50 नग					
36	वायपर छोटे	50 नग					

37	वायपर बड़े	50 नग					
38	डस्टिंग वायपर	50 नग					
39	प्लास्टिक मग	50 नग					
40	बाल्टी छोटी	30 नग					
41	बाल्टी बड़ी	30 नग					
42	डस्टबिन विथ लिड	50 नग					
43	ड्रम विथ लिड	20 नग					

टीपः— निविदादाता अनुबंध हेतु जो दर प्रदाय करेंगे, वह दर अनुबंध की संपूर्ण अवधि पर लागू होगी, भले ही बाजार भाव में कमी अथवा वृद्धि होती रहे । साथ ही उपयोग की गई सामग्री की राशि का भुगतान सामग्री की खपत के आधार पर किया जावेगा ।

**FINANCIAL BID FOR HOUSEKEEPING SERVICES AT
BUNDELKHAND MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, SAGAR
(PART-B)**

1. Name of the Tenderer

1. MANPOWER CHARGES				
	Type of man power	Rate per month including EPF ESI	Total Nos.	Amount per month
A	Cleaning and Sweeping Attendant staff for Cleaning, Sweeping, dusting, vacuuming and disinfecting of floors, walls, Toilets/Washrooms, ceilings, removal of waste and any other garbage from the entire area earmarked for Housekeeping/Cleaning such as Medical College Building (Entrance, Lecture Halls, Conferences Rooms, Board/Committee Rooms, Laboratories, Practical Rooms, Office Rooms, Faculties Cabins, Cubicles, Corridors and all other inside and outside areas etc) Hospital (OPD/IPD, Wards, Consultant Rooms, Operation Theatre, Intensive Care Unit/IPD Unit, Hospital Building, Surrounding Roads/footpaths, etc. 3 shifts & 7 days of week.		50	
	Hospital			
B	Supervisor in skilled category for monitoring and supervision works in all 3 shifts & 7 days of week.			
C	Facility Manager			
D	Charges for providing Uniform, Identity Card to all the workers & Gum boots, hand gloves Safety Goggles, masks to whom required as per works allocatin/month.			
TOTAL for 1 (one) Month I (A+B+C+D)				
Manpower charges claimed as wages by the contractor shall be reimbursed on the basis of payment made by contractors to their workers deployed at Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar.				
II. MACHINES, EQUIPMENT, TOOLS AND THEIR CONSUMABLES CHARGES ON MONTHLY BASIS INCLUDING COST OF MACHINES				Amount per month
A	Charges for providing and maintaining machines, equipments, tools and tackles, small or big, and any other item (s) that may be required for fulfillment of the contract (refer Annexure-B)/month			
B	Charges for providing all types of consumables or any items required to execute the contract, as per schedule of rates offered by your agency of consumables and disinfectant items mentioned in Annexure-E (Part-A) of Financial Bid/Month			
C	Tractor cum trolley charges to handle the solid garbage daily from Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar premises to District administration approved dumping yard/month			
TOTAL FOR 1 (One) Month II (A+B+C)				
III. Management/Service Charges:				Amount per month
A	Service Charges/management fee which should include: All expenditure on providing managerial/supervisory/administrative services by all means to get the work done through deployed housekeeping staff. This shall be based n total amount of (I A,B,C,D+IIA&C) in percentage.			%
TOTAL For 1 (one) Month III (A)				
Total of I (A+B+C+D) + II (A+B+C) + III (A) (Rs. /Month)				
Total of I (A+B+C+D) + II (A+B+C) + III (A) (Rs. /Month)				

The agency shall enclose, Annexure: breakup of I-A, II-A,B & C Charges per month. It is to be noted that no service charge will be paid on the consumables.

Note: (A) The minimum wage rates of manpower is as per Central Labour Rules and shall vary according to the amendments/increments enforceable by Gvt. from time to time, owever the offered rate/amount of items no. I (D), II(A), (B) & (C) shall remain constant and will not exceed in any case from the monthly quoted rates of these items, However amount of II-B will be paid on actual consumption certified by the Bundelkhand Medical College and Hospital's Official.

(B) The agency will have to provide two sets of uniform per year including I Cards to all the workers & gum boots and hand gloves, safety goggles, masks (to whom required as per work allocation) of good quality, colour code, will be approved by th competent authority of Bundelkhand Medical College and Hospital, the dress includes full trousers, & shirt with full sleeves.

The contractor has to ensure payment on the basis of current minimum wages rates applicable in the Sagar, circle as per Central Govt. Rules to the workers deployed at Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar. The contractor will have to make payment through cheque after opening of individual bank account for the workers deployed at Bundelkhand Medical College and Hospitaland also forward the copy of the monthly bank statements of the concerned workers to Bundelkhand Medical College and Hospital after depositing the cheques. Further, the copy of ESI cards, EPF No. issued to the workers should also be submitted to Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar M.P.

Note:Quoted amount shall be inclusive of all taxes excluding Service Tax. Service Tax shall be paid if applicable.

I/We also declare that, I/We will abide by all the rules and regulation of Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar M.P. if awarded the Tender. I/We are also aware that the Dean of the Bundelkhand Medical College reserves his right to cancel our Tender in part or full without assigning any reason, what so ever, and for the same, I/we will have no right to challenge the same in any court of law.

Signature of Authorized Person

Date:
Place:

Full Name :
Company's Seal:

परिशिष्ट "एफ"

**CHECK LIST OF THE DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH
THE TENDER**

Confirm the enclosure of all the below documents without which tenderer may not be eligible to participate in the tender

S.No.	Items	Confirm
1	EMD of Rs 300000 /- in Stipulated form	
2	Tender form with complete technical bid and Financial Bid, with all pages serially numbered, signed and stamped on each page	
3	Audited Balance Sheet or Turnover certificate by Chartered Accountant of last three years i.e. 2012-13, 2013-14, 2014-15	
4	Income Tax statement of last three years.	
5	Self Attested Photo Copy of PAN Card	
6	ESI & EPF Registration Certificate Copy, with last payment details	
7	Service Tax Registration Certificate, with details of the last payment.	
8	Registration certificates under contract labour (R&A) Act 1970. Copy of valid labour license.	
9	Documents in support of contract fulfilled in last 3 year along with their values in support of the experience and Financial credibility	
10	Satisfactory completion of contract certificate from previous organization (Minimum three) Part-C of Annexure-C	
11	License for providing Housekeeping Services.	
12	Declaration as per Annexure D.	

Signature of Authorized Person

Date:
Place:

Full Name :
Company's Seal:

परिशिष्ट "जी"

11. Proforma of Performance Bank Guarantee

In consideration of the Dean, Bundelkhand Medical College, Sagar (M.P.) (hereinafter called "The Client") having offered to accept the terms and conditions of the proposed agreement between Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar and (hereinafter called " the said contractor (s) for the work of Contract Manpower Supply (hereinafter called " the said agreement") having agreed to production of an irrevocable Bank Guarantee for Rs. (Rupees only) as a security/guarantee from the contractor (s) for compliance of his obligations in accordance with the terms & conditions in the said agreement.

1. We (hereinafter referred to as the "Bank) hereby undertake to (indicate the name of the Bank).
2. We do hereby undertake to pay amounts due and payable (indicate the name of the Bank) under this Guarantee without any demur, merely on a demand from the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar stating that the amount claimed is required to meet the recoveries due or likely to be due from the said contractor (s) Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this Guarantee we shall be restricted to an amount not exceeding Rs. (Rupees)
3. We, the said Bank, further undertake to pay to the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar any money so demanded not with standing any dispute or disputes raised by the contractor (s) in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal. The payment so made by us under bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder, and the contractor (s) shall have no claim against us for making such payment.
4. We further agree that the guarantee herein contained shall (indicate the name of the Bank) remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement, and it shall continue to be enforceable till all the dues of the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar under or by virtue of the said agreement have been fully paid, and its claims satisfied or discharged, or till the **Dean** on behalf of the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar certifies that the terms & conditions of the said agreement have been fully and properly carried out by the said contractor (s) and accordingly discharges this guarantee.
5. We further agree with the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar that Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar (indicate the name of the Bank) shall have the fullest liberty without our consent, and without effecting in any manner our obligations hereunder, to vary any of the terms & conditions of the said agreement or to extend time of performance by the said contractor (s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar against the said contractor (s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement, and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation or extension being granted to the said contractor (s) or for any forbearance, act of omission on the part of the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar or any indulgence by the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar to the said contractor (s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.
6. This Guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the Contractor (s)
7. We lastly undertake not to revoke this Guarantee except with (indicate the name of the Bank) the previous consent of the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar in writing.
8. This guarantee shall be valid up to unless extended on demand by the Bundelkhand Medical College and Hospital Sagar notwithstanding anything mentioned above, our liability against this Guarantee is restricted to Rs. (RupeesOnly) and unless a claim in writing is lodged with us under this Guarantee shall stand discharged.

Dated the day of for

(Indicate the name of the Bank)